उन्नति
विचार
वर्ष : 5 अंक : 2 अप्रैल-जून, 2000

अनुक्रम

संपादकीय 1

विकास विचार 2
बुनियादी अधिकारों के मुद्दे एवं स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका

आपके लिए 14
राष्ट्रीय जनसंख्या नीति : एक विहंगावलोकन

अपनी बात 19
मिलकर हम तूफान हैं: सहभागी काम की ताकत

गतिविधियां एवं भावी कार्यक्रम 21

संदर्भ सामग्री 25

अपने बारे में 26

संपादकीय टीम :
दीपा सोनपाल
रमेश थानवी
बिनोय आचार्य

वार्षिक चंदा : 25/- मात्र बैंक ड्राफ्ट अथवा मनीआर्डर 'उन्नति' विकास शिक्षण संस्थान, अहमदाबाद के नाम भेजें ।

केवल सीमित वितरण के लिए

संपादकीय

सामाजिक जुड़ाव और संगठन

सन् 1945 में औपनिवेशिक शासन व्यवस्था से आजादी के बाद भारत सहित एशिया, अफ्रीका व लेटिन अमेरिका के लगभग सौ देशों ने विकास के लिए जो रास्ता अंगीकार किया, उसके दुष्परिणामों को लेकर अब कोई विवाद शेष नहीं रहा। गरीबी, बेकारी, पर्यावरण की हानि तथा राजकीय, सामाजिक एवं सांस्कृतिक अभाव इन देशों में सर्वव्यापक हो चुके हैं। पिछले लगभग तीन दशकों के दरमियान विकास की इस शैली के समक्ष जहाँ अनेक शोधकर्ताओं एवं विद्वानों ने जबर्दस्त चुनौती रखी, वहीं स्वैच्छिक संस्थाओं ने भी स्थापित विकास की इस शैली के समक्ष चुनौती खड़ी की है। विकास की जो शैली अपनाई गई थी, उसमें विकास ऊपर से नीचे की ओर धीरे-धीरे रिसते-रिसते पहुँचेगा, ऐसी अप्रतिम श्रद्धा विद्यमान थी। लेकिन इस श्रद्धा के मुताबिक परिणाम देखने में नहीं आया। अतः विकास के समग्र सोच के विरुद्ध चुनौती खड़ी होती गई।

स्वैच्छिक संस्थाओं ने विकास को लोकोन्मुखी बनाने का संन्निष्ठ प्रयास किया है तथा राज्य को उसकी भूमिका बलपूर्वक समझाने का प्रयास भी किया है। इसी वजह से राज्य पिछले पाँच दशकों के दरमियान अपनी भूमिका को भले ही धीमी गति से, पर बदलता रहा है। इन परिस्थितियों में विकास को ठेठ तल से शिखर तक ले जाने की बिल्कुल भिन्न प्रक्रिया की कुछ क्षेत्रों में शुरूआत हुई है। इस प्रक्रिया में लोगों को शामिल करने का सवाल सबसे महत्त्वपूर्ण सवाल है। लोग और विकास दोनों अलग-अलग नहीं हैं और विकास लोगों से परे नहीं है, यह बात इस प्रक्रिया के प्रारंभ की बुनियाद में है। इस मूलभूत सिद्धांत के साथ जो सबसे महत्त्वपूर्ण बात जोड़ी गई है, वह है मानवाधिकार। प्रश्न यह खड़ा होता है कि अधिकारों के साथ विकास को कैसे साधा जाए? इस प्रकार, मात्र सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन निश्चय ही विकास साध सकता है पर वह वैयक्तिक एवं सामूहिक न्याय व अधिकार की तरफ नहीं ले जाता। इसलिए इस प्रक्रिया में राजकीय एवं नागरिक अधिकारों को शामिल करना अनिवार्य हो जाता है। याने सत्ता के संबंध इसमें बदल जाते हैं और नेतृत्व भी बदल जाता है। शासन व्यवस्था में परिवर्तन तथा समग्र समाज की सत्तावादी वृत्ति में परिवर्तन इस विकास का अनिवार्य परिणाम होना चाहिए।

स्वैच्छिक संस्थाओं के वास्ते नयी सदी की तथा नयी सहस्राब्दी की चुनौती यही है कि लोगों को अपने अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए किस तरह तैयार और संगठित किया जाए। लोगों में शक्ति का संचार करना तथा उनकी समस्याओं का समाधान करने हेतु आवश्यक संसाधन जुटाने की ताकत पैदा करना, यही एक स्थायी और सुदृढ़ उपाय है। यदि स्थानीय स्तर पर विकास के सोच का स्पष्टता के साथ क्रियान्वयन होता है और समग्र प्रक्रिया पर नज़र रखी जाती है तथा परिणामों का सहभागिता के साथ मूल्यांकन किया जाता है तभी यह कहा जाएगा कि विकास के अधिकार का स्थानीय स्तर पर पालन किया गया है। अधिकारों की प्राप्ति विकास के मूल में है, यह विकास-विषयक नूतन अभिगम है। यह अभिगम परिवर्तन के लिए संगठन बनाने की गतिशील प्रक्रिया को सत्ता के बदलते संबंधों तक ले जाता है। सत्ता के संबंधों का परिवर्तन, यही अधिकार-आधारित अभिगम के द्वारा सम्पन्न विकास का परिणाम हो सकता है।

बुनियादी अधिकारों के मुद्दे एवं स्वैच्छिक क्षेत्र की भूमिका

विगत पाँच दशकों से स्वैच्छिक क्षेत्र के प्रयास गरीबी तथा अन्याय से लड़ने के लिए रहे हैं। विकास के क्षेत्र में विश्व तथा राष्ट्र की समझ में आये बदलाव के कारण इन संगठनों के काम में भी बदलाव आया है। अब वे अधिकारों वाले तरीकों से काम करते हैं। प्रस्तुत आलेख इस बदलाव के परिप्रेक्ष्य की व्याख्या करता है तथा बताता है कि अधिकारों वाला तरीका आखिर क्या है? यह पत्र नई दिल्ली में हुई एक्शन एड (इंडिया) की कार्यशाला में वर्तमान कन्ट्री डायरेक्टर **श्री हर्ष मन्देर** ने प्रस्तुत किया।

विकास की अवधारणा तथा व्यवहार का प्रादुर्भाव

औपनिवेशिक जंजीरें टूटने के बाद के शुरूआती दशकों में अधिकतर नवस्वतंत्र देशों की राष्ट्रीय सरकारों का प्रमुख जोर आर्थिक प्रगति पर रहा जिसका संचालन आमतौर पर केन्द्रीयकृत आयोजना के जरिये हुआ। अधिकांश प्रयासों के पीछे यह अवधारणा रही कि गरीब सहित समाज के सभी वर्गों को स्वतः तथा समान रूप से प्रगति के लाभ मिलेंगे।

लाभ के रिस-रिस कर नीचे पहुँचने के सिद्धान्त को तब ठुकराना पड़ा जब समाज में असमानता गहराने लगी और पिछड़ गये समूहों में हिंसक असंतोष बढ़ने लगा। इसने भारत जैसे राज्य और गैर सरकारी संगठन क्षेत्र दोनों को अपनी रणनीति बदल कर सीधे गरीबी को लक्ष्य बनाने को प्रेरित किया जिससे लोगों की मूल-भूत आवश्यकताएँ (भोजन, पेयजल, आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि) पूरी की जा सकें।

सेवाएँ पहुँचाने के दौर, अस्सी के दशक में, खासकर उसके उत्तरार्ध में, फिर नये सिद्धांतों का प्रादुर्भाव हुआ, जैसे ठेठ नीचे के स्तर पर लोगों की भागीदारी तथा स्थानीय समुदायों में खुद तय करने और अपनी मदद आप करने को बढ़ावा देना। भागीदारी वाले फैसलों के मॉडलों ने विभिन्न प्रकार के विकास, तकनीकों, जो स्थानीय सापेक्ष थीं तथा जिसके प्रमुख मूल्य थे स्थानीय संस्कृति, ज्ञान तथा परम्पराओं को सम्मान देने के प्रयोग किये। परन्तु इन तरीकों की एक आलोचना सदा ही रही कि उन्होंने बेहतर जीवन और न्याय के लिये गरीबों के संघर्ष के राजनैतिक तत्व को कमजोर बना दिया क्योंकि वे तरीके राजनीति से विलग रहे।

नब्बे के दशक के आखिर तक जन केन्द्रित विकास का सिद्धान्त बलशाली हुआ जिसने मजबूत जन संगठनों तथा सहभागी स्थानीय निकायों के आधार पर राजनैतिक भागीदारी को व्यापक बनाने का प्रयास किया। इसने कोशिश की कि संसाधनों पर नियंत्रण फिर से आम जन का हो तथा लोगों को सुरक्षित जीवन-यापन का अवसर मिले। इस दौर ने सामाजिक पूंजी के महत्त्व को समझ तथा विकास के अधिकार आधारित रणनीति के सिद्धांत को पनपते हुए देखा। अधिकारोंवाली रणनीति के महत्त्व और उसके मायनों के बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे।

सेवा पहुँचाने तथा आधारभूत जरूरतें पूरी करने वाला विकास

विकास और सामाजिक नीति साहित्य में लोगों की आधारभूत जरूरतें पूरी करने तथा उनके अधिकारों को प्रोत्साहन देने के बीच फर्क किया जाता है। आधारभूत जरूरतों को विकास के सिद्धांतों में तरजीह 1970 के दशक में दी जाने लगी। छन कर ऊपर से विकास का लाभ नीचे पहुँचने का सिद्धांत असफल होने के बाद ही आधारभूत जरूरतों की बात की जाने लगी।

देशों के अन्दर और देशों के बीच बढ़ती असमानता और गरीबी के खतरनाक हद तक बढ़ने से विकास के पुनर्वितरण पहलू पर सामाजिक नीति को सोचने पर मजबूर किया। कई देशों में गरीबी के ढांचागत कारणों पर भूमि सुधारों जैसे कामों के जरिये ध्यान नहीं देने के कारण गरीबी उन्मूलन तथा गरीब की अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाने का काम ढीले तरीके से हुआ। गैर सरकारी क्षेत्र ने आधारभूत जरूरतों के बारे में सरकार

की असफलता पर ध्यान दिया और सेवाएँ देने का अपना संवेदनशील ढांचा स्थापित किया।

आधारभूत जरूरतें पूरी करने के लिये सेवाएँ पहुँचाने की रणनीति स्थानीय परिपेक्ष्य में सफल रही जिससे गरीबों को बेहतर जीवन-स्तर पाने का मौका मिला। परन्तु इस रणनीति ने सत्ता और ढांचागत अन्याय पर ध्यान नहीं दिया जिससे इन अधिकारों का हनन हुआ। एक प्रभावशाली प्रतीक का उपयोग करते हुए वेन एलवर्ड ने लिखा है : "यदि आप किसी बच्चे को डूबता देखते हैं तो उसे बचाने को पानी में कूद पड़ते हैं और फिर आप दूसरे को देखते हैं, तीसरे को देखते हैं, तो फिर वैसा ही बचाने का काम करते हैं। शीघ्र ही आप बच्चों को बचाने में इतने मशगूल हो जाते हैं कि आपको यह देखने का ख्याल ही नहीं आता कि वहाँ ऊपर कोई है जो बच्चों को नदी में फेंक रहा है।"

स्ट्रीटन (1984) हमें याद दिलाता है कि यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि आधारभूत जरूरतें पूरी करने की रणनीति गरीब में ताकत का संचार करके उसे अपनी परिस्थिति बेहतर बनाने में मदद करती है अथवा वह मौजूदा दमनकारी व्यवस्था को बल देती है।

इस रणनीति के एक अन्य तीखे आलोचक फिरोज मानजी (1999) कहते हैं कि विकास की राजनीति निरपेक्ष रणनीति की चाह में गैर सरकारी संगठनों ने गरीबी का गैर राजनीतिकरण कर दिया और इस प्रकार वे अपूर्ण विकास के अर्थशास्त्र का अभिन्न हिस्सा बन गये। अब वे एक ऐसी व्यवस्था के भाग हैं जो गरीबी को बढ़ावा देती है। वे ऐसे कई गैर सरकारी संगठनों को सामाजिक सेवाएँ देने वाले मात्र उप ठेकेदारों की संज्ञा देते हैं जो सबसे गरीब तथा पीड़ित की हालत को बदतर बनाते हैं।

केन्या की मूलभूत अधिकारों की संचालन समिति अपने हाल के एक प्रकाशन में कहती हैं कि "मूलभूत जरूरतें तथा अधिकार एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। परन्तु फिर भी पिछले कुछ दशकों के अनुभव बताते हैं कि मूल अधिकारों की गारंटी के बिना मूलभूत जरूरतें कभी पूरी नहीं होंगी। यहीं पर गरीबी उन्मूलन की असली चुनौती है।"

मानव अधिकार क्या हैं?

मानव अधिकार वे अधिकार हैं जिसका प्रत्येक मानव हकदार है तथा वह उसकी सुरक्षा पाने का भी हकदार है। ऐसे अधिकारों में अन्तर्निहित विचार किसी-न-किसी रूप में सभी संस्कृतियों तथा समाजों में मिलते हैं। ये वे मूलभूत सिद्धान्त हैं जिनका प्रत्येक पुरुष, स्त्री तथा बच्चे से व्यवहार करने में आदर किया जाना चाहिए। इन अधिकारों की वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय घोषणा - मानव अधिकारों की विश्व घोषणा है।

यह घोषणा दो तरह के अधिकारों की बात करती है। पहला है नागरिक तथा राजनैतिक अधिकार। दूसरा है आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार। घोषणा के शब्दों में इन दो अधिकारों के सैटों का उद्देश्य सभी लोगों को भय और जरूरतों से मुक्ति दिलाना है। इन दोनों अधिकारों की सुरक्षा इसलिए आवश्यक है क्योंकि वे विश्व में स्वतंत्रता, न्याय और शांति के आधार हैं।

यह सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे इस घोषणा में वर्णित मानव अधिकारों की सुरक्षा करें। नागरिक और राजनैतिक अधिकारों के शीर्षक के तहत सभी सरकारों को अपने नागरिकों के जीवन, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा की रक्षा करनी होती है। उन्हें यह गारंटी देनी चाहिए कि कोई दास नहीं बनाया जा सके तथा किसी को मनमाने तरीके से गिरफ्तार नहीं किया जा सके, न नजरबंद किया जा सके और न उसे सताया जा सके। प्रत्येक को उचित अदालती मुकदमें का अधिकार है। विचार, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की सुरक्षा होनी चाहिए।

आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों के शीर्षक के अन्तर्गत सभी सरकारों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने नागरिकों के जीवन स्तर को उत्तरोत्तर बढ़ाने की कोशिश करेंगी। उदाहरण के लिए उन्हें भोजन, वस्त्र, आवास तथा मेडिकल संभाल के अधिकार की गारंटी देने का प्रयास करना चाहिए। उन्हें परिवार की सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा तथा रोजगार के अधिकार की गारंटी भी देनी चाहिए। उन्हें इन अधिकारों को बिना किसी भेदभाव के बढ़ावा देना चाहिए।

(स्रोतः 'ह्यूमन राइट्सः द न्यू कोन्सेसस', रीजेन्सी प्रेस, 1994.)

यह दृष्टिकोण कि अधिकारों की बात किये बगैर जरूरतें पूरी नहीं हो सकती, सेन (1981) से भी समर्थन पाता है कि अकाल जैसी विकट परिस्थितियों में भी भोजन की कमी अकाल नहीं पैदा करता बल्कि भोजन पर प्रभावी हक का अभाव इसे पैदा करता है।

फर्ग्यूसन (1999) का तर्क है कि गैर सरकारी संगठनों ने लोगों को यंत्र तकनीक प्रक्रिया में एक लक्ष्य मात्र माना है क्योंकि उनकी सामाजिक नीति इस बात से प्रभावित रही है कि लोग जरूरतों का लक्ष्य भर हैं और वे अपनी कोई पसंद नहीं रखते। फैसला लेने की प्रक्रिया में भागीदार बनने या उसे प्रभावित करने - अपने घरों में या औपचारिक सार्वजनिक क्षेत्र में - लोग सक्षम नहीं माने जाते जबकि यही चीजें उनके जीवन को मोड़ देती हैं।

मानव अधिकारों की विश्व घोषणा पर एक विहंगम दृष्टि

विश्व घोषणा कहती है कि मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति के अन्तर्निहित गौरव पर आधारित है। स्वतंत्रता और समानता का अधिकार, जो कि प्रत्येक मानव के अन्तर्निहित गौरव की देन है, किसी भी प्रकार से छीने नहीं जा सकते तथा राज्य के अधिकारों से श्रेष्ठ हैं। मानव के गौरव की समानता को मान्यता भाईचारे को बढ़ावा देती है।

यह घोषणा इस सिद्धांत पर बल देती है कि प्रत्येक व्यक्ति के प्रति जाति, रंग, लिंग, धर्म, राजनैतिक और अन्य विचार, राष्ट्रीय तथा सामाजिक मूल, सम्पत्ति, जन्म तथा अन्य हैसियत के आधार पर कोई भेद नहीं होगा। यह घोषणा व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा तथा स्वतंत्रता की पुष्टि करती है तथा इन मूलभूत अधिकारों के आधार पर यह कई नागरिक और राजनैतिक अधिकारों की घोषणा करती है। यह है :

- कोई भी व्यक्ति दासता में या पराधीनता में नहीं रखा जायेगा।
- किसी भी व्यक्ति को यातना नहीं दी जायेगी तथा क्रूर, अमानवीय तथा अपमानजनक दंड नहीं दिया जायेगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को कानून के समक्ष एक व्यक्ति के रूप में मान्यता मिलेगी।
- प्रत्येक व्यक्ति को सक्षम राष्ट्रीय ट्रिब्यूनल से राहत पाने का अधिकार होगा।
- किसी भी व्यक्ति को मनमाने तरीके से न तो गिरफ्तार किया जायेगा, न नजरबंद किया जायेगा और न देश निकाला दिया जायेगा।
- प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष ट्रिब्यूनलों से सार्वजनिक सुनवाई कराने की समानता का अधिकार है।
- दंडात्मक जुर्म के प्रत्येक आरोपी को अधिकार है कि वह दोषी सिद्ध नहीं होने तक निर्दोष माना जाय।
- किसी व्यक्ति की निजता, परिवार, घर तथा पत्राचार में मनमाने तरीके से बाधा नहीं डाली जायेगी।
- उत्पीड़न से बचने से लिये शरण मांगने का हरेक व्यक्ति को अधिकार है।
- हरेक को राष्ट्रीयता का अधिकार है।
- बालिग महिला और पुरुष को विवाह करने और परिवार रखने का अधिकार है।
- प्रत्येक व्यक्ति को एक जगह से दूसरी जगह जाने, विचार प्रकट करने, शांतिपूर्ण तरीके से एकत्र होने तथा संगठन बनाने, विवेक और धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, तथा
- प्रत्येक व्यक्ति को अपने देश की सरकार में भागीदारी का अधिकार है।

घोषणा पत्र कहता है कि आर्थिक, समाजिक और सांस्कृतिक अधिकार व्यक्ति के स्वतंत्र विकास और गौरव की रक्षा के लिये छोड़े नहीं जा सकते। प्रत्येक को राष्ट्रीय प्रयास तथा अंतर्राष्ट्रीय मदद से इन अधिकारों को पाने का हक है।

घोषणा पत्र इन आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों को मान्यता देता है : सामाजिक सुरक्षा का अधिकार, काम का अधिकार, आमोद और प्रमोद का अधिकार, स्वास्थ्य तथा अच्छे जीवन-यापन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, समुदाय के सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार तथा वैज्ञानिक विकास में भागीदारी का अधिकार।

घोषणा पत्र इस बात की मान्यता देता है कि प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक और अन्तर्राष्ट्रीय व्यवस्था का अधिकार है जिससे इस घोषणा पत्र में दर्शाए गये अधिकारों और स्वतंत्रताओं को पाया जा सके। अन्त में यह घोषणा करता है कि प्रत्येक व्यक्ति समुदाय के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि समुदाय में ही व्यक्ति का पूर्ण और मुक्त विकास संभव है।

(स्रोत : ह्यूमन राइट्स प्रेक्सिस : ए रिसोर्स बुक ऑफ स्टडी, एक्शन एंड रिफ्लेक्शन लेखक डी. जे. रवीन्द्रन, अर्थवर्म बुक्स, 1998)

लोगों को जरूरत के लक्ष्य नहीं मानकर उन्हें अधिकार-सम्पन्न सक्रिय एजेन्ट मानने की हमारी क्षमता हमें अधिकारोंवाली रणनीति की तरफ ले जाती है। जैसा कि फिरोज मानजी (1999) ने कहा कि गैर सरकारी संगठनों को यह चीजें ध्यान में रखनी चाहिए : "विकास की प्रक्रिया में कोई निरपेक्ष आधार कोई 'नो मैन्स लैंड' नहीं होती। चयन बहुत साफ है। या तो आप अनजाने में उन सामाजिक सम्बन्धों को पुष्ट करें जो गरीबी, असमानता तथा झगड़ों को पैदा करते हैं या ऐसी प्रक्रियाओं को मदद करने की भूमिका निभायें जो इन सामाजिक संबंधों को धराशायी करती हों।"

अधिकारों पर आधारित विकास की रणनीति

पहले इस बात को समझें कि 'अधिकार' और 'अधिकार आधारित विकास की रणनीति' से हमारा क्या आशय है।

मुर्रे (1914) 'अधिकार' की परिभाषा करते हुए कहा था कि "वह कुछ पाने अथवा अमुक प्रकार से व्यवहार करने का विविध और नैतिक आधार पर न्यायोचित दावा है।" दूसरे शब्दों में अधिकारों को कानूनी और नैतिक संबल मिला हुआ है। मानव की हैसियत से लोगों के अधिकार मानव अधिकार होते हैं। पाउलो फ्रेयरे का कहना है कि : "मानव होने का अर्थ है दूसरों तथा विश्व के साथ संबंध स्थापित करना। यह विश्व को अपने से स्वतंत्र एक वस्तुनिष्ठ यथार्थ के रूप में अनुभव करना और अपनी पहचान कराना है।"

कई अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों, खासकर संयुक्त राष्ट्र के सम्मेलनों में, विश्व स्तर पर मानव अधिकारों को कुछ कानूनी मान्यताएँ दिलाने के प्रयास हुए हैं। परन्तु इन सम्मेलनों के सभी मुद्दे सार्वजनिक रूप से स्वीकार नहीं किये गये। विशेषकर कई लोग ऐसे हैं जो इस बात पर विवाद करेंगे कि सम्पत्ति का अधिकार मूलभूत मानव अधिकार माना जाय या नहीं। वे यह तर्क देंगे कि यह अधिकार गरीबों का सम्पत्ति पाने के मानव अधिकार का हनन करता है। राष्ट्रीय सरकारें विशिष्ट अधिकारों को लागू करने के लिये संवैधानिक तथा कानूनी प्रावधान करती हैं परन्तु कई अधिकार केवल आकांक्षाएं बने रहते हैं, क्योंकि न तो वे कानूनी रूप से लागू कराये जा सकते हैं और न समुदाय द्वारा नैतिक रूप से उनकी अनुपालना होती है।

जीवित रहने तथा इज्ज़त से गुजर बसर करने के लिए जीने और स्वतंत्रता का अधिकार मानव अधिकारों में शामिल है।
- ऐसे जीवन स्तर का अधिकार जिसमें व्यक्ति के खुद के तथा उसके परिवार के उचित स्वास्थ्य का इंतजाम हो। जरूरत के समय सामाजिक सुरक्षा का अधिकार हो।
- सर्वोच्च शारीरिक तथा मानसिक स्तर पाने का अधिकार हो।
- काम का अधिकार तथा अच्छे वातावरण में काम का अधिकार हो।
- भोजन और आवास का अधिकार हो।
- निजता तथा पारिवारिक जीवन का अधिकार हो।

मानवीय गरिमा, रचनात्मक तथा बौद्धिक और रूहानी विकास भी मानव अधिकारों में आते हैं। उदाहरण के लिये :
- शिक्षा और सूचना पाने का अधिकार।
- धर्म, विचार, अभिव्यक्ति तथा विवेक का अधिकार।
- संगठन का अधिकार।
- राजनैतिक प्रक्रिया में भागीदारी का अधिकार।
- सांस्कृतिक जीवन में भागीदारी का अधिकार।

इनमें वे अधिकार शामिल हैं जो स्वतंत्रता तथा शारीरिक सुरक्षा के लिये जरूरी है। उदाहरण के लिये :
- दासता, अथवा पराधीनता से स्वतंत्रता।
- व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार।
- मनमाने तरीके से गिरफ्तारी या कारावास से मुक्त रहने का अधिकार।
- अमानवीय तथा निम्न स्तर के दंड तथा यातना से मुक्ति।

स्त्रियों और पुरुषों के बीच समानता का सिद्धान्त तथा धर्म, जाति, भाषा, लिंग, रंग, राजनीति तथा विपरीत मत, राष्ट्रीय तथा सामाजिक मूल सम्पत्ति, जन्म तथा अन्य हैसियत के आधार पर भेदभाव बरतने पर रोक भी इन अधिकारों में शामिल है।

नागरिक और राजनैतिक अधिकारों और दूसरी तरफ आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के बीच के विरोधाभासों पर लंबे समय से निरर्थक बहस छिड़ी हुई है।

कुछ समाजवादी और विकासशील देशों में आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है कि सामाजिक और आर्थिक/मूलभूत अधिकारों (जैसे- पानी, भोजन, आवास, वस्त्र तथा शिक्षा) को नागरिक और राजनैतिक अधिकारों (जैसे- एकत्र होने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आंदोलन करने की स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत सुरक्षा की स्वतंत्रता) पर तरजीह मिलनी चाहिये। इस तर्क में यह भी कहा जाता है कि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों के पाने से ही नागरिक और राजनैतिक अधिकार हासिल किये जा सकते हैं। पहले के बिना दूसरा संभव नहीं है। इसलिए आर्थिक विकास के लिए राजनैतिक स्वतंत्रता में कटौती लाजमी है। इसके लिये सिंगापुर, मलेशिया तथा इंडोनेशिया का उदाहरण दिया जाता है। जिन्होंने नागरिक अधिकारों की कीमत पर आर्थिक प्रगति हासिल की। केन्या की मूलभूत अधिकारों की संचालन समिति (1998)।

दूसरी तरफ उत्तर में उदारवादी लोकतंत्रों में आर्थिक और सामाजिक अधिकारों की बजाय नागरिक और राजनैतिक अधिकारों पर जोर रहता है।

आर्थिक और सामाजिक अधिकार दूसरी श्रेणी के अधिकार के रूप में देखे जाते हैं जो लागू नहीं किये जा सकते हैं और न अदालतों से उन्हें लागू करवाया जा सकता है। वे समय के साथ-साथ धीरे-धीरे लागू होते हैं।

उत्तर में सरकारें तथा समाचार माध्यम राजनैतिक दलों पर प्रतिबंध, समाचार पत्रों पर रोक तथा बिना मुकदमा चलाये हिरासत में रखने की विकासशील देशों की घटनाओं पर तुरन्त प्रतिक्रिया करते हैं। परंतु गरीबी, बेरोजगारी, अकाल, कुपोषण तथा महामारियों पर उनकी प्रतिक्रिया इन देशों के प्रति दया की भावना से प्रेरित होती है न कि अधिकारों के प्रति सरकारों से। (मूलभूत अधिकारों की संचालन समिति, केन्या, (1992)।

भारतीय संविधान में भी ऐसी ही स्थिति है। अधिकतर और सामाजिक अधिकार, जैसे शिक्षा का अधिकार नीति निर्देशक सिद्धांतों में शामिल किये गये हैं जो कि केवल सापेक्ष है और जिन्हें कानूनन लागू नहीं कराया जा सकता। अधिकतर नागरिक और राजनैतिक अधिकार लागू किये जा सकने वाले मूलभूत अधिकार हैं।

इसका नतीजा यह है कई कई अधिकार जो गौरव के साथ जीने के लिये अत्यंत आवश्यक हैं - गरीबों के लिये वे कभी-कभी ही लागू होते हैं। लागू किया जा सकने वाला जीवनयापन का अधिकार का परिणाम रोजगार की कुछ गारंटी देने वाला होना चाहिये । आवास के अधिकार ने शहरी गृह विहीन लोगों तथा मलिन बस्तियों में रहने वालों को, वे जिस अपराधीकरण और असुरक्षा के माहौल में रहते हैं से सुरक्षा मिलनी चाहिये थी। सन् 1996 का समान अवसरों का कानून पहली बार अशक्तों के अधिकारों को कानूनी जामा पहनाता है। परन्तु इसके अधिकतर प्रावधान इसकी अवहेलना करने वालों के लिये दंडात्मक व्यवस्था नहीं करते। इसलिये एक बार फिर आर्थिक और सामाजिक अधिकार हासिये पर बैठे लोगों के लिये कानूनी किताबों तक सीमित रह गये हैं जो उनके जीवन में बेहतर न्याय की व्यवस्था करके कोई फर्क नहीं ला पाये हैं।

विकास की मुख्य धारा तथा अधिकारों के साहित्य में अब जो आम सहमति बन रही है वह है मानव अधिकारों की अखंडता। मानव अधिकारों की अखंडता का सिद्धांत दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक अधिकारों को भी उतनी ही तरजीह दी जाय जितनी नागरिक और राजनैतिक अधिकारों को मिले। उदाहरण के लिये स्वास्थ्य का अधिकार तब तक नहीं पाया जा सकता यदि लोग सेवा देने के बारे में फैसला लेने की प्रक्रिया में भागीदारी का लोकतांत्रिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकें।

इसी प्रकार यदि लोग स्वस्थ नहीं होंगे अथवा इनकी आर्थिक हालत ठीक नहीं होगी तो वे निर्णय लेने की प्रक्रिया में हिस्सा नहीं ले सकेंगे। दूसरा उदाहरण लें विकासशील देशों में ग्रामीण गरीबों के लिये जीवन-यापन के लिये जमीन जरूरी है। यह आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकार का हिस्सा है। परंतु फिर भी भूमि के अधिकार न्यायिक मुद्दे बन जाते हैं जिनकी अदालतों से सुरक्षा की दरकार होती है और वह नागरिक और राजनैतिक मुद्दा है।

यदि अधिकार को विधिक और नैतिक समर्थन प्राप्त है, तो अधिकार आधारित विकास की रणनीति क्या हो? ओवरसीज़

डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट (1999) ने उसकी यह परिभाषा देने का प्रयास किया है:

"अधिकारों पर आधारित विकास की रणनीति, विकास का उद्देश्य मानव अधिकार हासिल करना निर्धारित करती है। यह रणनीति मानव अधिकारों के सोच को विकास की नीति का प्रमुख आधार बनाती है। विकास की प्रक्रिया में मददगार बनने के लिये मानव अधिकारों की जवाबदेही के वास्ते यह अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था तैयार करती है। कुल मिलाकर इस रणनीति का सरोकार केवल नागरिक और राजनैतिक अधिकारों से ही नहीं होता बल्कि, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक अधिकारों से भी होता है।"

इस परिभाषा में कुछ कठिनाइयां हैं। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारों वाली रणनीति के उदेश्यों की प्राप्ति के लिये अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इसकी बजाय यह रणनीति अन्य विभिन्न स्रोतों, जैसे राष्ट्रीय कानून, सामाजिक रूप से स्वीकृत समानता और न्याय के सिद्धांतों या लोगों के संगठनों और संघर्षों से सहमति तथा बल प्राप्त कर सकती है। यह परिभाषा इस व्यवहारिक सोच पर आधारित है कि कुछ ऐसे मानव अधिकार होते हैं जिनको सार्वजनिक स्वीकृति होती है। शिवजी का तर्क है कि:

"अधिकारों की शास्त्रीय व्याख्या कानूनी अधिकारों के रूप में नहीं होनी चाहिये। इसका मतलब होगा कि हकों और दावों के रूप में वह जड़ है मगर संघर्ष का साधन है। इस प्रकार अधिकार की बजाय वह सही होने के अधिक करीब है। संघर्ष का साधन होने के रूप में अधिकार कोई दान में दी हुई चीज नहीं है - ऊपर से दया के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसी स्थिति के रूप में, जिसके पीछे लोग नीचे से संघर्ष के लिये लगे। (शिवजी 1989:71)"

यह परिभाषा स्पष्ट नहीं करती कि अधिकार आधारित रणनीति की विषय-वस्तु मानव अधिकारों को बढ़ावा देने में क्या भूमिका अदा कर सकती है।

अधिकार आधारित रणनीति की एक भूमिका को मुंजी (1999) ने प्रभावी तरीके से स्पष्ट किया है जो आपसी समर्थन को बढ़ाती है:

"समर्थन का मतलब दूसरे लोगों की लड़ाई लड़ना नहीं है। हर व्यक्ति द्वारा अन्याय की पीड़ा झेलने के सरोकारों तथा परस्पर सम्मान के आधार पर विभिन्न क्षेत्रों के बीच सहयोग स्थापित करना इसका उद्देश्य है। अन्याय तथा ऐसी व्यवस्थाओं के चलते जो अन्याय को बढ़ावा देती है के खिलाफ एक पक्ष में खड़े होना इसका उद्देश्य है। यह दया तथा सहानुभूति पर आधारित नहीं है। विदेशों में आपकी परियोजनाओं के लिये कोष एकत्र करने के लिये भी यह नहीं है बल्कि ऐसे लोगों के लिये कोष एकत्र करने के लिये है जो लड़ाई आप लड़ते हैं। यह अपने खुद के क्षेत्र में ऐसा काम करना है जो दूसरों को अपनी लडाई जीतने की शक्ति दे सके।"

इस आलेख में हम निम्न सिद्धांतों के आधार पर अधिकार आधारित रणनीति को परिभाषित करते हैं :

- विकास को एक निरपेक्ष प्रक्रिया के रूप में देखने को अस्वीकार करना तथा उसकी राजनैतिक विषय-वस्तु को स्वीकार करना जिससे कि लंबे समय से अन्याय से पीड़ित तथा अधिकारों से ढांचागत कारणों से महरूम रहे लोगों के समूहों का पक्ष लिया जा सके।
- ऐसी प्रक्रियाओं को परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से मदद देना जो अन्याय पैदा करने वाले स्रोतों पर हमला करती हैं तथा जो ऐसे समूहों के अधिकारों की बहाली करती है जो ऐतिहासिक और व्यवस्थित रूप से इनसे महरूम रहे हों।

मानव अधिकारों की सुरक्षा करनेवालों की भूमिका

प्रक्रियाओं के हिसाब से देखें तो अधिकारों पर आधारित रणनीति में सबसे महती जरूरत उन स्रोतों और कारणों की पहचान करने तथा उनके विश्लेषण की है जो इन अधिकारों का लंबे समय से व्यवस्थित तरीके से हनन करते हैं। इस विश्लेषण को विश्वसनीयता तभी मिलेगी जब वह अधिकारों के हनन से पीड़ित लोगों के समूहों से साथ मिलकर किया जाय। इसमें वे प्रक्रियाएं तभी शामिल होंगी जिससे ऐसे समूहों से लोग अपने उत्पीड़न की परिस्थिति तथा उसके कारणों को समझ सकेंगे और उससे उबर सकेंगे।

अन्याय से उबरने तथा अधिकारों को पाने के लिये संघर्ष मूलतः उत्पीड़ित समूहों द्वारा ही किया जाना है, परंतु कई भूमिकाएँ ऐसी हैं जिन्हें एक बाहरी मददगार एजेन्सी निभा सकती है। ये विशिष्ट भूमिकाएँ स्थानीय परिपेक्ष्य में समूहों के साथ गहन विचार-विमर्श के बाद तय की जानी चाहिये। कुछ संभावित भूमिकाएँ नीचे दी जा रही हैं।

- उस समूह के समर्थन में सार्वजनिक रूप से उसका पक्ष लिया जा सकता है।
- इस प्रक्रिया में मदद, जिसे पाउलो फेरे 'अंतःजागृतिकरण' बताता है। इसमें उत्पीड़न की परिस्थिति के बारे में जागरूकता पैदा की जाती है तथा इस बात की धारणा बलवती की जाती है कि यह उत्पीड़न खत्म हो सकता है और खत्म होना चाहिए। यह भी कि सब मिलकर उत्पीड़न से उबर सकते हैं।
- ऐसी सेवाएं उपलब्ध कराना जिससे ऐसे समूह उस समय तक अपने आपको निबाह सकें जब तक प्रक्रियाएँ अपना प्रभाव डालें।
- अधिकारों को पुनः हासिल करने के लिये सहयोग।
- शांतिपूर्ण प्रतिरोध तथा संघर्ष में सहयोग।
- राज्य के कानून और नीति को प्रभावित करने का प्रयास तथा अधिकारों की पुनर्स्थापना के लिये उनका क्रियान्वयन।
- सम्बंधित मुद्दों पर अन्य समूह बनाने अथवा ऐसे समूहों का नेटवर्क बनाने में सहयोग।
- अधिकार हनन से पीड़ित लोगों के समूहों के सक्रिय सदस्यों को सहयोग।

अधिकारों पर आधारित रणनीति का विकासः एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का दृष्टांत

1. गरीबी तथा मानव अधिकारों के हनन के कारणों का पता लगाना

किसी भी रणनीति का पहला कदम उन मुद्दों का पता लगाना होता

मध्यस्थता का संभावित आयोजन एवं क्रमांकन

(समुदाय की सक्रिय भागीदारी के साथ)

1. परिस्थिति का विश्लेषण और समस्या की पहचान

यह प्राथमिक (सूक्ष्म योजना, बेसलाइन, सर्वे, आदि) तथा माध्यमिक स्रोतो, दोनो के डेटा के साथ पद्धतियों को मिलाकर किया जा सकता है।

तब हम स्थूल परिस्थिति (राज्य, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर) के विपरीत डी.ए. से समस्या की पहचान कर सकते हैं, ताकि समस्या की तीव्रता के स्पष्ट चित्र और उसके संभवित सहयोगो/ संबंधों को ढूंढ सकें।

2. प्रस्तावित मध्यस्थताओं के लिए मुद्दों का निर्धारण

अधिकार आधारित परिप्रेक्ष्य से परिस्थितियों के विश्लेषण में समस्याओं को देखें। इसका तात्पर्य है कि एक बार मुद्दे का निर्धारण होने पर हम अपने आप से पूछ सकते हैं कि क्या यह परिस्थिति निम्नांकित कारणों से हैं:

- इस परिस्थिति के हल के लिए कोई समुचित नियम/ नीति नहीं है।
- नीति तो है लेकिन उसे ठीक से नहीं बताया गया और उसमें परिवर्तन की आवश्यकता है।
- नीति तो अच्छी है लेकिन उसके कार्यान्वयन में समस्याएं है।
- ऐसे स्थानीय सामाजिक-सांस्कृतिक कारण हैं जो परिस्थिति की बेहतरी में बाधक हैं और उन्हें स्थानीय रूप से ही हल किए जाने की आवश्यकता है।

और आखिर में, बड़े परिवर्तनों को लागू करने से पूर्व क्या अंतरिम उपाय के रूप में किन्हीं सेवा मध्यस्थताओं की आवश्यकता हैं?

इन लाईनों पर विश्लेषण करने के बाद हरेक समस्या के लिए कार्य-योजनाओं/ मध्यस्थताओं का प्रस्तावित सैट दिया जा सकता है - अल्पावधि व दीर्धविधि दोनों 'सेवा' और प्रेरक लाइनों के साथ।

यह याद रहे हैं कि हम गरीबी की समस्या के मूल कारणों को हल करने में जुटे हैं न कि केवल बाह्य रूप के हल के लिए। अतः यह देखना आवश्यक है कि कुछ क समस्याएं अन्य समस्याओं (मूल कारणों) का मात्र बाह्य रूप तो नहीं है। उदाहरण के लिए, 'विस्थापन' का कारण कुछ भी हो सकता है- रोजगार की कमी? प्राकृति संसाधनों के उपयोग हेतु समान रूप से पहुँच का अभाव? ऐसा कौशल जिसकी अन्य स्थानो पर मांग हो?

है जो पीड़ित समूहों के मानव अधिकार हनन के परिणामस्वरूप अन्याय की स्थिति पैदा करते हैं तथा जो क्षेत्रों के अनुरूप प्रभाव दिखाते हैं। इन मुद्दों का चयन निम्नलिखित तरीकों से हो सकता है :

- ऐतिहासिक रूप से जो समूह पिछड़े रह गये हैं उनके मानव अधिकारों का हनन होता है।
- यह अन्याय दीर्घकालीन तथा लगातार चलनेवाला होता है, जो ऐसे समूहों का बड़े पैमाने पर उत्पीड़न करता है।
- अन्य सभ्य समाज के संगठनों के पीड़ित समूहों के अन्याय के प्रतिकार के लिये अन्य सभ्य समाज के संगठनों की मदद नाकाफी पायी जाती है।
- उस क्षेत्र में यह भावना हो कि वह मानव अधिकारों के हनन को रोकने के लिये सक्षमता पैदा करें।

अन्याय का प्रतिकार न केवल स्थानीय स्तर पर तथा बड़े परिप्रेक्ष्य में बल्कि सरकार तथा गैर सरकारी क्षेत्र की नीतियों और कार्यक्रमों पर प्रभाव ड़ालने में क्षेत्र का भी कृतसंकल्प होना जरूरी होता है।

2. विकास के विकल्प की ओर

अब तक के क्षेत्रीय प्रयास ऐसे होते रहे हैं जिसमें चयनित लक्षित समूहों के साथ बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेप होता है। इससे हजारों गरीब लोगों के जीवन में बहुत फर्क पड़ता है। परन्तु यह भी सच्चाई है कि नई शताब्दी के शुरू होने पर कुल मिलाकर गरीबी और असमानता बढ़ी है। हमारी समझ बताती है कि ज्यों-ज्यों गरीब और पिछड़े लोगों के साथ हमारी भागीदारी बढ़ती है त्यों-त्यों उन पर प्रभाव डालने वाली रणनीतियां बनानी पड़ेगी।

लम्बे समय तक रहनेवाला प्रभाव डालने के लिये गरीबी और अन्याय पर मिला-जुला प्रहार करना पड़ेगा जिसका मतलब है कि हमें गरीबी और पिछड़ेपन का अपना विश्लेषण, समुदायों तथा परिवारों से परे, व्यक्तियों, पुरुषों, महिलाओं, लड़कियों, लड़कों तथा पिछड़े समूहों तक करना पड़ेगा।

वर्तमान तौर तरीके से काम करते हुये हम नया विचार पैदा कर सकते हैं जो हमें ये मुद्दे आधारित विकास के प्रयास तथा समुदायों की सक्षमता बढ़ाने की ओर ले जा सकते हैं। अतः ऐसा महसूस किया जाता है कि हमारे कई कार्यक्रमों को महत्वपूर्ण पैमाने पर बढ़ाना होगा।

नीति सम्बन्धी फैसलों को प्रभावित करने तथा अपनी उपस्थिति का आभास देने के लिए एक न्यूनतम पैमाना आवश्यक है। हमारे काम का पैमाना ऐसा होना चाहिए जिससे सरकार तथा अन्य एजेंन्सियाँ हमारे काम को दर्ज करें।

इस तरह के जो अभियान चलाये गये हैं वे लक्षित समुदाय के साथ बहुक्षेत्रीय हस्तक्षेपों के जरिये एक सीमित क्षेत्र में प्रभाव ड़ालने के हिसाब से बनाये गये हैं। परंतु नया सिद्धान्त, अधिकारों वाली पहल का ऐसा ढांचा देता है जो मुद्दों पर आधारित पहल पर ध्यान केन्द्रित करेगा तथा ऐसा करने में समुदायों की सफलता बढ़ायेगा।

इस विचार का विस्तार कर हमें बहुत अधिक संगठनों को शामिल करना होगा तथा बृहद् क्षेत्रों में उसे फैलाना होगा और प्रभावी बनाने के लिए इसे मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना होगा। अतः काम का यह पैमाना केवल भौगोलिक इकाई नहीं होगा परन्तु जिसमें मुद्दें और लोग भी शामिल होंगे।

विकास कि पहल किसी क्षेत्र की अपेक्षा मुद्दे पर केन्द्रित होनी चाहिए। परन्तु क्षेत्र का भौगोलिक और राजनैतिक महत्व होता है। किसी क्षेत्र को भौगोलिक और राजनैतिक इकाई इसीलिए कहते हैं कि वहाँ निर्णय लेने की प्रक्रिया बनती है और शुरू होती है। काम का पैमाना, सम्बन्धित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा तय किया जा सकता है। क्षेत्रीय कार्यालय को अपनी क्षमता के अनुरूप काम का पैमाना तय करने की स्वायत्ता और लचीलापन दिया जाना चाहिये।

एक-दूसरे से सटे हुए क्षेत्र के परिप्रेक्ष्य में न्यूनतम पैमाना बनाने की आवश्यकता है। इसमें कोई प्रखंड या जिला, भौगोलिक एवं राजनैतिक इकाई हो सकता है। ऐसा करने से अनुकूल फैसला लेने की प्रक्रिया प्रभावी तरीके से बनाने में मदद मिलेगी।

मुद्दे आधारित तथा अधिकार आधारित पहल के साथ-साथ भौगोलिक और राजनैतिक इकाई से हम अपनी उपस्थिति महसूस करा सकते हैं।

एक ही पहल में बहुत सारे मुद्दों को लेकर उनमें खो जाने की बजाय मूल मुद्दे या मुद्दों पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

3. अधिकारों के हनन के स्रोतों का विश्लेषण

एक बार मुद्दे तथा पहल की पहचान हो जाय तब अगला कदम अन्याय के क्षेत्रों को गहराई से समझने का होता है। अन्याय के ये स्रोत अधिकारों का बार-बार हनन करते हैं। वे विधिक, आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक, पर्यावरणीय, तकनीकी, सांस्कृतिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्व हो सकते हैं।

अधिकारों के हनन को कई धुरियों से देखा जा सकता है। इन संवेदनशील समूहों के नजरिये से भी जो ऐतिहासिक रूप से अधिकारों के हनन के शिकार होते आये हैं, जैसे दलित, महिलाएँ, बच्चे, आदिवासी, निशक्त, शहरी, आवाहीन, एड्स तथा कुष्ठ से पीड़ित लोग या फिर वास्तविक अधिकारों के नजरिये से उन्हें देखा जा सकता है जैसे - आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा, भूमि, जीवन-यापन तथा प्राकृतिक संसाधन। पहले बताये नाजुक समूहों में से हरेक इन वास्तविक अधिकारों के हनन के शिकार होते हैं।

इन बरसों में एक अन्य धुरी के नजरिये से अधिकारों के हनन को देखा जाता है। वह है न्याय तथा समानता के शासन का अधिकार। ऐसा महसूस किया जाता है कि अधिकारों के सभी हनन भेदभाव तथा भ्रष्ट शासन के परिणामस्वरूप होते हैं। इस प्रकार के भी प्रमाण है कि अन्यायी शासन की तकलीफ सबसे अधिक गरीबों को ही भुगतनी पड़ती है।

अधिकारों के हनने के स्रोतों के विश्लेषण में अनुपूरक स्रोतों का अध्ययन भी शामिल होगा। परन्तु इसमें सीधा अवलोकन तथा अधिकारों के हनन से पीड़ित समूहों से औपचारिक तथा अनौपचारिक वार्तालाप महत्वपूर्ण होगा। क्षेत्रीय लोगों को इस सहभागी विश्लेषण को करने की दक्षता पानी होगी।

यह विश्लेषण मूल कारणों की खोज की तरफ ले जायेगा। उदाहरण के लिए उड़ीसा में 1999 का महाचक्रवात का विश्लेषण बतायेगा कि प्राकृतिक आपदा लोगों की विपदा का छोटा कारण है तथा मूल कारण है उनकी साधनहीनता, आर्थिक कमजोरी, पर्यावरण का नुकसान तथा भ्रष्टाचार।

4. क्या किया जाना है इस बारे में सहभागी विश्लेषण

अधिकारों के हनन के मूल स्रोतों का सहभागी विश्लेषण हमें हनन के शिकार समूह के साथ मिलकर विश्लेषण करने की तरफ ले जायेगा तथा उन तरीकों को उजागर करेगा जिनसे अन्याय से निपटा जा सके। इस रणनीति के कई तत्व हो सकते हैं। मसलन :

- दलित परिस्थितियों तथा प्रभावित आबादी में उनके कारणों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए विवेक जाग्रत करना।
- प्रभावित समूहों का संगठन, जोर और संघर्ष।
- अदालतों से मदद पाने के लिए सामूहिक कानूनी पहल।
- स्थानीय, क्षेत्रीय तथा राष्ट्रीय स्तर पर गठजोड़ तथा नेटवर्क बनाना।
- समस्याओं के लघुकालीन हल के लिए सेवा देना, तथा लोग जब संघर्षरत हो तब उन्हें सुरक्षा का आवरण प्रदान करना।
- वैकल्पिक विधि तथा नीति सम्बन्धी दस्तावेज तैयार करना।
- विधि तथा नीति में परिवर्तन के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करना।

एक समय सीमा में मुद्दों को इस प्रकार उठाना चाहिए जिससे करीब पांच वर्ष के भीतर अन्याय की व्यवस्था पर गहरा प्रभाव ड़ाला जा सके।

5. क्रियान्वयन की एजेन्सियों की पहचान

जब हम इस बात का विश्लेषण करते हैं कि क्या किया जाना है तो उसके बाद स्वाभाविक रूप से सवाल उठता है कि किसे क्या करना चाहिए? विशिष्ट तरीके से सहयोग निभाने का सबसे बेहतर कौन तैयार है? खास कर यह जानना कि पिछड़े समूहों के वर्तमान या भावी संगठन, पंजीकृत या गैर पंजीकृत संगठन, गैर सरकारी संगठन तथा नेटवर्क या पंचायती राज संस्थाएं यह काम कर सकती हैं।

बड़े पैमाने पर तथा बहु-आयामी काम तथा अधिकारों वाली रणनीति में यह सम्भव नहीं कि कोई एक अकेली एजेन्सी में सभी आवश्यक योग्यताएँ हों। गठबंधन के लिए एजेन्सियों का चयन उन समूहों से विचार-विमर्श करके होना चाहिए जिन पर ध्यान केन्द्रित करना

अन्तर्राष्ट्रीय प्रयास : स्त्रियों पर हिंसा से निबटना

(1948) मानव अधिकारों की विश्व घोषणा

यह वह आधारशिला है जिस पर मानव अधिकारों के अन्तर्राष्ट्रीय पैमाने विकसित किये गये हैं। स्त्रियों पर हिंसा धारा 3 तथा 5 का हनन करती है। धारा 3 के तहत प्रत्येक को अपने जीवन, स्वतंत्रता तथा सुरक्षा का अधिकार है। धारा 4 के किसी को सताया नहीं जा सकता तथा उसे अमानवीय दंडनीय नहीं दिया जा सकता।

(1945) सभी प्रकार के नस्लभेद को समाप्त करने का 'संयुक्त राष्ट्र' का कन्वेन्शन

यह कन्वेन्शन राज्यों को किसी भी प्रकार का विभेद करने से प्रतिबन्धित करता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि राज्य सभी को सुरक्षा कि गारंटी देगा तथा शारीरिक हिंसा से राज्य उसे बचायेगा। यह हिंसा भले ही सरकारी अधिकारियों ने की हो अथवा व्यक्तियों ने की हो या संस्थाओं ने की हो (धारा 5)।

(1979) स्त्रियों के प्रति सभी भेदभाव समाप्त करने का संयुक्त राष्ट्र का कन्वेन्शन

यह महिलाओं के अधिकारों का अन्तर्राष्ट्रीय विधेयक है तथा महिलाओं के समानता तथा भेदभाव विरोधी सिद्धान्तों को प्रतिपादित करता है। स्त्रियों के प्रति सभी प्रकार के भेदभाव समाप्त करने के बारे में समिति ने 1992 में अपनी 19वीं सामान्य सिफारिश मे लिंग आधारित हिंसा को औपचारिक रूप से शामिल कर लिया। यह सिफारिश पूरी तरह महिलाओं पर होने वाली हिंसा पर थी तथा उसमें वे कदम सुझाये गये थे जिनसे ऐसी हिंसा खत्म की जा सके। सभी सार्क देश इस कन्वेन्शन पर हस्ताक्षर कर चुके हैं परंतु कन्वेन्शन की कुछ धाराओं पर अभी विवाद है। उदाहरण के लिए 24 देशों ने धारा 16 के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया है। धार 16 एक केन्द्रीय प्रावधान है जो विवाह तथा पारिवारिक जीवन में स्त्री और पुरुष को समानता की गारंटी देता है।

(1993) स्त्रियों पर हिंसा खत्म करने की घोषणा :

यह पहला अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकार का साधन था जो महिलाओं पर होने वाली हिंसा से सम्बन्ध रखता था। इसमें इस प्रकार के हिंसा की परिभाषा की गई तथा उससे निबटने के लिए उपाय सुझाये गये। इसके तीन महत्वपूर्ण तत्व थे कि वह महिलाओं पर हिंसा को पूरी तरह मानव अधिकार का हनन मानता है, महिलाओं के जीवन की यथार्थ परिस्थितियों को दर्शाने के लिए स्त्रियों पर हिंसा के विचार को विस्तार देता है तथा वह हिंसा की जड़ में लिंग आधारित भेद की भावना देखता है।

(1993) मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन, वियना

इस सम्मेलन में जो वियना कार्ययोजना तैयार की गई उसने लिंग आधारित हिंसा तथा यौन उत्पीड़न तथा शोषण की स्पष्ट रूप से व्याख्या की। इनमें उन व्यवहारों की भी व्याख्या थी जो सांस्कृतिक आग्रहों तथा व्यवहारों के परिणामस्वरूप होते हैं। इसमें उन मुद्दों को भी छुआ गया जो अन्तर्राष्ट्रीय मानव अधिकारों के पैमाने के खिलाफ है तथा उन सभी क्षेत्रों की बात की जिनसे स्त्रियों पर हिंसा रोकी जा सके।

(1994) आबादी और विकास पर अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन

नैटो कार्ययोजना ने पुष्ट किया कि महिलाओं के अधिकार सभी मानव अधिकारों के अविभाज्य हिस्से हैं। इसमें जोर दिया गया कि आबादी और विकास से कार्यक्रम तभी पूरे प्रभावी होते हैं जब वे महिलाओं की हैसियत बढ़ाने के साथ लिये जाते हैं। यह सम्मेलन पहला अन्तर्राष्ट्रीय मंच बना जिसने यौन स्वास्थ्य को प्रजनन के अधिकारों का अभिन्न हिस्सा माना। इसमें अपने साथी के प्रति जिम्मेदारी भी दर्शाई गई।

(1995) महिलाओं पर चौथा विश्व सम्मेलन

सम्मेलन में पारित बीजिंग प्लेटफार्म फार एक्शन ने माना कि सभी सरकारें भले ही वे किसी भी राजनैतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक प्रणाली की हों, महिलाओं के मानव अधिकारों की सुरक्षा करने लिये उत्तरदायी हैं। इसने माना कि लिंग आधारित हिंसा को खत्म करना विकास और शांति का केन्द्र बिन्दु है।

(स्रोत : ए लाइफ फ्री आफ वायलेंसः इट्स अवर राइट, युनीफेम 1998, ग्लोबल कैम्पेन फार द एलिमिनेशन आफ जेन्डर बेस्ड वायोलेंस इन साउथ एशिया रीजन)

है। ऐसी स्थिति में कि जब कोई मौजूदा संगठन ऐसा नहीं हो जिसके साथ मिलकर पहल करने वाली एजेन्सी काम कर सके तो वह सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। परंतु विगत में जिस प्रकार का सीधा हस्तक्षेप होता था यह उससे भिन्न होगा।

इसका उदेश्य यही होगा कि यह सीधा हस्तक्षेप तभी तक के लिए हो जब तक कि यह संभालने के लिए कोई संगठन बन कर तैयार नहीं हो जाय। यह समय तीन वर्ष से अधिक का नहीं होना चाहिए। पहल करने वाली एजेन्सी का प्रमुख उदेश्य समुदाय आधारित स्थानीय संस्था बनाना होगा जो बाद में गतिविधियों को चलाते रह सके।

बड़े पैमाने पर मुद्दे आधारित अधिकारोंवाली रणनीति में कई सारे वैकल्पिक काम हो सकते हैं। इनमें से कुछ इस प्रकार हैं :

- गैर सरकारी संगठनों, अन्य संगठनों तथा पंचायती राज संस्थाओं को मदद देने वाला तंत्र विकसित करना। यहाँ पर पहल की भूमिका, तकनीकी तथा प्रबन्ध की मदद देने, प्रशासन की व्यवस्था करने, लेखों का संधारण करने तथा प्रायोजक के रूप में होगी।
- एक गैर सरकारी संगठन को मदद देना जो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए पांच-दस वर्ष काम करे तथा बाद में स्थानीय समुदाय के संगठन को काम सौंप कर कार्यक्षेत्र से हट जाये। यहाँ पर सारा जोर संस्थान को बनाने पर होगा।
- किसी विशिष्ट मुद्दें पर स्थानीय तथा गैर सरकारी संगठन को सहयोग। तकनीकी और प्रबन्धकीय इकाई के रूप में ए. ए. आई. विभिन्न गैर सरकारी संगठनों को किसी निश्चित विषय-वस्तु पर मदद करे तथा उन्हें एक नेटवर्क के तहत लाने का प्रयास करें।

पहले और तीसरे विकल्प में जिस तकनीकी तथा प्रबन्धकीय भूमिका की व्यवस्था की गई है उसका मतलब है :

- विकास की रणनीति बनाने तथा पहल करने के लिए सूचनाओं का संकलन, संयोजन तथा उनका मिलान।
- समुदाय की क्षमता बढ़ाना ताकि गरीबी का पूरा हल निकल सके। ऐसा अधिकारों की स्थापना के जरिये किया जाय ताकि उत्पादक तथा सामाजिक संसाधनों पर लोगों का नियंत्रण बढ़ सके, विकास के साथ में उनका हस्तक्षेप हो, तथा वे अपने हितों की रक्षा करने में सक्षम हों।
- गैर सरकारी संगठनों तथा नेटवर्क में मुद्दे आधारित पहल के लिए गहरे रिश्ते बनाना।
- सरकार के साथ सम्पर्क बनाये रखना ताकि फैसले लेनेवाले प्रमुख लोगों तथा विचारों को प्रभावित किया जा सके ताकि नीतियों तथा व्यवहारों में ऐसा बदलाव लाया जा सके जो गरीब की तरफदारी करे।
- प्रशासन तथा लेखे : यदि जरूरत पड़े तो पहल करने वाली एजेन्सी प्रशासन तथा लेखे सम्भालेगी।

6. सहभागी पर्यवेक्षण, मूल्यांकन तथा सामाजिक ऑडिट

परियोजना की मूल रूप से जवाबदेही उस समुदाय के प्रति होनी चाहिए जिसके साथ काम किया जा रहा है। ग्राम सभा की विशेष बैठक में प्रत्येक तिमाही में एकबार समुदाय के सामने संस्थापन

मूल अधिकारों के मुद्दे की क्रियान्विति के लिए ग्राम सभाओं तथा ग्राम कोष का उपयोग

भारतीय परिप्रेक्ष्य में शासन समुदाय की सीधी भागीदारी के लिए विशेष संवैधानिक प्रावधान किये गये हैं। इनके तहत ग्राम सभा अथवा सभी ग्रामवासियों की सभा को संस्थागत रूप दिया गया है। क्योंकि हमारी रणनीति इसी बात पर आधारित है कि लोग अपने शासन पर प्रभाव डाल सकें इसलिए विभिन्न प्रक्रियाओं में इन संस्थाओं को रचनात्मक भागीदार बनाना चाहिए।

खासकर रकम, सीधे समुदाय को मिलनी चाहिए। यह महत्वपूर्ण है। अतः प्रत्येक रणनीति में ग्राम समुदाय का एक 'ग्राम कोष' बनाया जाना चाहिए जिसका प्रबन्ध लक्षित आबादी के समुदाय आधारित संगठन द्वारा किया जाय या फिर ग्राम सभा द्वारा।

इससे यह सुनिश्चित होगा कि काम खत्म होने के चरण में समुदाय में यह क्षमता बन चुकी होगी कि वह अपने संसाधनों का स्वतंत्र रूप से प्रबन्ध कर सकें।

समेत सभी खर्चों का विस्तार से लेखा प्रस्तुत किया जाना चाहिये। ग्राम सभी की चर्चा का संक्षिप्त ब्यौरा लिखा जाना चाहिए और उसे वहीं पढ़कर सुनाया जाना चाहिए। यही रिपोर्ट क्षेत्रीय तथा कन्ट्री ऑफिस तथा दानदाताओं को प्रस्तुत होती है।

ग्राम सभा के सामाजिक ऑडिट में दर्शाई गई खामियों को दुरुस्त करने का काम सामूहिक रूप से क्षेत्रों का होगा। दुरुस्ती के काम की सूचना ग्राम सभा को उसकी अगली बैठक में दी जानी चाहिए।

सामाजिक ऑडिट के साथ सालाना वित्तीय ऑडिट भी होगी। इस ऑडिट के परिणाम तथा इन पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी नियमित रूप से ग्राम सभा को दी जानी चाहिए।

पृष्ठ 20 का शेष भाग

था। परंतु लेम्पस के कर्मचारी हमेशा कुछ-न-कुछ बकाया निकाल देते थे। लगता था उनका कर्जा कभी पूरा नहीं होगा। इससे कुछ घपला होने की शंका हुई। महिलाएँ फिर एक जुट हुईं तथा मामले की जांच की मांग करने लगीं। समूह की सदस्य सोसायटी के बहीखातों तथा कर्जों की रकम में हेरा-फेरी की जिला प्रशासन से जांच करने की मांग को लेकर धरने पर बैठी।

साहूकारों के चंगुल से मुक्ति तथा सहकारी बैंक कर्मचारियों के भ्रष्टाचार पर अंकुश के लिये यह संयुक्त प्रदर्शन साबली, बालेतीघाटी, बेड तथा घोडाकड गाँवों में भी दोहराया गया।

बचत और साख से भी आगे

इस समय तक इन समूहों ने अपनी बचतों से कुछ कोष एकत्र कर लिया तथा पी.ई.डी.ओ. ने इन समूहों को बाहरी वित्तीय संस्थाओं से सम्बद्ध कर दिया। इससे इस समूह को उधार लेने की सुविधा मिलने लगी। परन्तु समूह ने केवल वित्तीय मुद्दों तक अपने को सीमित नहीं किया। परिवार में पुरुष सदस्यों खासकर समूह की सदस्य स्त्रियों के पतियों द्वारा घर में उन पर होने वाली हिंसा भी सदस्यों की चिंता का विषय बनने लगी। माड़ा बचत एवं साख समूह में ऐसा ही हुआ।

एक महिला, जो समूह कि सदस्य थी, को उसके पति ने उसे बांझ बताकर छोड़ दिया। समूह के सदस्यों ने उसे भैंस खरीदने के लिए कर्जा उपलब्ध करा कर पहले तो उसे मदद दी ताकि वह आजीविका कमा सके। फिर सदस्यों ने बातचीत के जरिये समस्या के समाधान का प्रयास किया। जब वह सफल नहीं हुआ तब समूह के सभी सदस्य एक साथ उस आदमी से मिलने उसकी दुकान पर गये। इससे एक जबरदस्त सामाजिक दबाव बना तथा अन्ततः वह आदमी अपनी पत्नी को वापस घर लाने को राजी हो गया। सदस्यों ने उस पर लगातार निगाह भी रखी ताकि वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सके।

वर्तमान में महिलाओं के बचत और साख समूह डूंगरपुर जिले के बीछीवाड़ा ब्लाक के सभी गाँवों में चल रहे हैं ये समूह नाबार्ड, लोकल एरिया बैंकों तथा राष्ट्रीय महिला कोष जैसे संगठनों से ऋण लेने के लिए जुड़ गये हैं। ये समूह अब महासंघ के रूप में आपस में जुड़ने को तैयार हैं। जिससे वे स्वयं ऋण देने व लेने का प्रबन्ध करेंगे।

महिलाएँ साख से भी आगे जाना चाहती है क्योंकि उनकी दैनिक जरूरतों के लिए कर्जों की जरूरत कम होती जा रही है - वे ऋण की रकम से अपनी आय में बढ़ोत्तरी करना चाहती हैं। पी.ई.डी.ओ. ने भी महिलाओं की जरूरतों के अनुरूप अपना ध्यान बदला है। अब वह महिलाओं को अपनी आय बढ़ाने में मदद करने लगा है। यह मदद प्रमुखतः फलों के पेड़ लगाने, सब्जियाँ उगाने तथा बकरी पालने जैसे कामों के लिए है।

इन महिलाओं ने लम्बा और कठिन रास्ता पार किया है परंतु उनकी यात्रा जारी है। इन समूहों की असली ताकत उनका सामूहिक बल है जिससे वे अपनी कई और समस्याएं सुलझाने को तत्पर हैं। यह कहावत कि **'मिलकर हम तूफान हैं'** लगता है इन्हीं महिलाओं के लिए बनाई गई है।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति : एक विहंगावलोकन

केन्द्र सरकार ने पहली बार राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की है। इस नीति के महत्त्वपूर्ण पक्षों को समेटते हुए **श्री हेमन्तकुमार शाह** ने यह लेख तैयार किया है। इसमें गुजरात की जनसंख्या नीति संबंधी प्रतिक्रिया के विवरण का भी समावेश विद्यमान है।

प्रस्तावना

भारत की जनसंख्या वृद्धि देश के लिए चिंताजनक बन गई है। इस सदी के आरंभ में भारत की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ थी, जो अब 100 करोड़ के आस-पास जा पहुँची है। इस का अर्थ यह हुआ कि भारत की आबादी इन 100 वर्षों में चार गुना बढ़ गई है। जबकि इसी समयावधि के दरमियान विश्व की जनसंख्या 2 अरब से बढ़कर 6 अरब हुई है। अर्थात् इसमें तीन गुना वृद्धि हुई है। इस प्रकार पिछले सौ वर्षों में विश्व जनसंख्या जिस दर से बढ़ी, उसकी अपेक्षा अधिक दर से भारत की आबादी बढ़ी है। इससे अनाज, स्वास्थ्य, जल, आवास तथा गरीबी व बेकारी की विकराल समस्याएँ भारत में पैदा हो गई हैं। प्राप्य संसाधनों में अधिक से अधिक आबादी के पालन-पोषण का सवाल और उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाने का सवाल अधिक से अधिक पेचीदा बनता जा रहा है। दुनिया की कुल जमीन का मात्र 2.4% इलाका भारत के पास है, पर लगभग 17% जनसंख्या भारत में विद्यमान है। याने अल्प साधनों में अधिक आबादी के लिए सभी व्यवस्थाएँ जुटाने की समस्या मुँह बाये खड़ी है। प्रति वर्ष भारत की आबादी में इस समय डेढ़ करोड़ लोगों की वृद्धि होती है। ऐसा अनुमान है कि यदि जनसंख्या-वृद्धि की वर्तमान गति जारी रही है तो सन् 2016 में भारत की आबादी 125 करोड़ होने का तथा सन् 2045 तक भारत आबादी की दृष्टि से चीन के बराबर हो जायेगा। प्रत्येक व्यक्ति समाज में उत्पादक पूंजी बने और प्रत्येक व्यक्ति को विकास के समान अवसर मिलें, यह आवश्यक है। अतः जनसंख्या नियंत्रण एक अनिवार्यता बन जाती है।

आबादी की समस्या को भारत की स्वतंत्रता के बाद तत्काल पहचान लिया गया था। सन् 1952 में परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरूआत इस बात का प्रमाण है कि भारत के लिए जनसंख्या की अनियंत्रित वृद्धि समस्या बन जाएगी - इसकी जानकारी बहुत पहले हो चुकी थी। उसके बाद जनसंख्या - नियंत्रण के लिए असंख्य प्रयास किए गए तथा जन्म - दर व प्रजनन दर घटाने में वे लोग काफी हद तक सफल रहे। जनसंख्या - नियंत्रण के साधनों का उपयोग भी बढ़ा है। जहाँ 30 वर्ष पूर्व मात्र 10 प्रतिशत दम्पति उनका उपयोग करते थे, वहीं आज 44 प्रतिशत दम्पति उपयोग करने लगे हैं। इसके अतिरिक्त बाल मृत्यु व शिशु मृत्यु की दर घटने के परिणामस्वरूप भी आबादी बढ़ी है। इसका कारण यह भी है कि

सामाजिक तथा जनसंख्या विषयक लक्ष्य

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में उसके उद्देश्यों को पूरा करने हेतु सन् 2000 तक जिन सामाजिक एवं जनसंख्या संबंधी लक्ष्यों को पूरा करना निश्चित किया गया है, उनमें से कुछ निम्नानुसार है :

1. बाल-स्वास्थ्य एवं प्रजनन से संबंधित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाएँ एवं ढाँचागत सुविधाएँ खड़ी करना।
2. 14 वर्ष की आयु तक निःशुल्क व अनिवार्य विद्यालय शिक्षण प्रदान करना तथा प्राथमिक व माध्यमिक शाला में विद्यालय से अधबीच में बाहर निकल आने वाले बालकों के अनुपात को 20% से नीचे लाना।
3. बाल मृत्यु दर प्रति 1000 में 30 की संख्या को नीचे लाना।
4. मातृत्व मृत्यु दर को 1 लाख में से 100 की संख्या को नीचे लाना।
5. सभी बालकों के लिए सार्वत्रिक ही रसीकरण सिद्ध करना।
6. बालिकाओं की वैवाहिक आयु को 18 से पहले नहीं वरन् 20 के बाद लाने हेतु प्रयास करना।
7. 80% प्रसूति अस्पतालों में हो और 100% प्रसूति प्रशिक्षित व्यक्ति के हाथों सम्पन्न हो।
8. जन्म, मृत्यु, विवाह और गर्भावस्था के ब्यौरे शत-प्रतिशत दर्ज किए जाएँ।
9. छूत के रोगों की रोकथाम करना तथा उन पर अंकुश लगाना।

स्रोतः राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

भारत में जनसंख्या नीति की दिशा में किए जानेवाले प्रयास

वर्ष	विवरण
1946	भोर समिति का प्रतिवेदन
1952	परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरूआत
1976	राष्ट्रीय जनसंख्या नीति संबंधी प्रस्तुति
1977	परिवार कल्याण कार्यक्रम का नीति-विषयक प्रस्तुति।
1983	राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति में स्वैच्छिक प्रयासों के द्वारा छोटे परिवार की प्रवृत्ति को अपनाने तथा आबादी के अनुपात को स्थिर करने पर भार।
1991	श्री करुणाकरन् की अध्यक्षता में जनसंख्या समिति का गठन । प्रतिवेदन 1993 में । राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाये जाने की सिफारिश।
1993	राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मसौदा तैयार करने हेतु डॉ. एम. एस. स्वामिनाथन् की अध्यक्षता में विशेषज्ञ दल का गठन।
1994	स्वामिनाथन् दल का प्रतिवेदन
1997	राष्ट्रीय जनसंख्या नीति के मसौदे को नवम्बर में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति ।
1999	नूतन राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का मसौदा और प्रधानमंत्री द्वारा चर्चा। नया मसौदा मंत्रिमंडल को सुपुर्द।

स्रोतः राष्ट्रीय जनसंख्या नीति

वास्तविक जनसंख्या वृद्धि दर में कोई कमी दर्ज नहीं हुई।

इस समस्या के प्रभावी समाधान हेतु भारत सरकार ने पहली बार इस वर्ष के पूर्वार्द्ध में 'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति' की घोषणा की है। पहले 1976 में 'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति का प्रारूप' और 1997 में 'परिवार कल्याण कार्यक्रम का नीति-विषयक प्रारूप' तैयार कराया था। परंतु इन दोनों में से एक भी प्रारूप संसद में पेश नहीं किया गया था, उस पर चर्चा नहीं हुई थी या उसे स्वीकार नहीं किया गया था। उसके पश्चात् भी जनसंख्या नीति के लिए प्रयास हुए थे, पर वे सघन नहीं थे। पहली बार जब राष्ट्रीय जनसंख्या नीति घोषित की गई है तो इसके घटक पक्षों के बारे में जानकारी प्राप्त करनी जरूरी हो जाती है। इस नीति के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता है कि सरकार जनसंख्या नियंत्रण के बारे में क्या सोचती है और किस दिशा में सोचती है। यह नीति भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के परिवार-कल्याण विभाग के द्वारा जारी की गई है।

उद्देश्य

'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति' में व्यक्त किया गया है कि अधिकाधिक समान वितरण के साथ स्थायी विकास करते हुए यह जरूरी है कि जनसंख्या का अनुपात स्थिर हो। उसमें यह भी लिखा गया है कि प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य संभाल सेवाओं का उपयोग करते समय नागरिक स्वैच्छिक रीति से जानकारीप्रद चयन करें, इस बारे में सरकार प्रतिबद्ध है। इसके अतिरिक्त परिवार नियोजन की सेवाएँ प्रदान करते समय सरकार लक्ष्यविहीन अभिगम जारी रखेगी। जनसंख्या नियंत्रण के साथ-साथ माता के स्वास्थ्य एवं बालक के आरोग्य पर भी बल दिया गया है। इस संदर्भ में उसमें तीन उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं :

1. इसका तात्कालिक उद्देश्य जनसंख्या नियंत्रण, स्वास्थ्य संभाल की ढांचागत सुविधाएँ, स्वास्थ्य क्षेत्र के लोगों की जरूरतें पूरी करना, प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य तथा बाल आरोग्य संभाल के लिए संकलित सेवाएँ पूरी करना है।
2. इसका मध्यम अवधि का उद्देश्य सन् 2010 तक अंतर्क्षेत्रीय व्यूहरचनाओं द्वारा कुल प्रजनन दर को इतना नीचे लाना है ताकि जनसंख्या वृद्धि स्थिर बने।
3. इसका लंबी अवधि का उद्देश्य सन् 2045 तक आबादी को स्थिर करने का है, जो स्थायी आर्थिक वृद्धि, सामाजिक विकास तथा पर्यावरण संरक्षण की जरूरतों के साथ सुसंगत हो।

उपर्युक्त तीनों उद्देश्यों के संदर्भ में 'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति' में 14 राष्ट्रीय सामाजिक जनसंख्या संबंधी लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नीतिगत दस्तावेज बताता है कि यदि इस नीति की पूरी तरह से क्रियान्विति की जाएगी तो भारत की आबादी सन् 2010 में तकनीकी समूह द्वारा किए गए 116 करोड़ के अनुमान के बजाय 111 करोड़ के लगभग होगी।

नई संरचना

'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति' में नीति के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु चार नए ढाँचों की रचना करना सूचित किया गया है :

1. राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग। इसके अध्यक्ष पद पर प्रधानमंत्री रहेंगे। यह आयोग नीति के क्रियान्वयन की समीक्षा करेगा। इसके सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री व संबंधित केन्द्रीय मंत्री होंगे।
2. प्रत्येक राज्य जनसंख्या आयोग का गठन करेगा । मुख्यमंत्री इसके अध्यक्ष होंगे। वे राज्य में जनसंख्या नीति के क्रियान्वयन की देख-रेख रखेंगे और उसकी समीक्षा करेंगे।
3. योजना आयोग में संकलन विभाग बनाया जाएगा, जो मानव विकास के निर्देशकों पर जनसंख्या वृद्धि के प्रभावों पर विशेष ध्यान देगा।
4. केन्द्रीय परिवार कल्याण विभाग में टेक्नोलोजी मिशन बनाया जाएगा। विशेष रूप से औसत से अधिक खराब स्थिति वाले राज्यों पर वह विशेष ध्यान देगा तथा उन राज्यों को स्वास्थ्य संभाल सेवाओं के लिए तकनीकी सहायता प्रदान करेगा।

जनसंख्या के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियाँ

1. शिशु जन्म दर	1951	40.8
	1998	26.4
2. बाल मृत्यु दर	1951	146
	1998	72
3. दम्पति रक्षा दर	1971	10.4%
	1999	44%
4. शिशु मृत्यु दर	1951	25
	1998	9
5. औसत आयु	1951	37 वर्ष
	1991	62 वर्ष
6. कुल प्रजनन दर	1951	6
	1997	3.3

स्रोतः 'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति'

पंचायतें और जनसंख्या नीति

इस नीति में 12 व्यूहात्मक मुद्दे दिये गए हैं। इसमें सबसे पहला मुद्दा विकेन्द्रित आयोजन और कार्यक्रम के क्रियान्वयन में विकेन्द्रीकरण का है। 73वें और 74वें संविधान संशोधन ने स्वास्थ्य, परिवार कल्याण तथा शिक्षा का उत्तरदायित्व ग्राम पंचायतों पर डाला है, इसे ध्यान में रखते हुए जनसंख्या नीति में बताया गया है कि पंचायती राज की संस्थाएँ कार्यक्रम के विकेन्द्रित आयोजन एवं क्रियान्वयन के लिए महत्त्वपूर्ण साधन हैं अतः प्रशासनिक एवं आर्थिक सत्ताओं का सम्पूर्ण आवंटन जरूरी हो जाता है। धन एकत्र करने के तमाम अधिकार पंचायती राज संस्थाओं को सोंपे जाने चाहिए। नीति में आगे कहा गया है कि पंचायतों में 33% स्थान महिलाओं हेतु आरक्षित हैं अतः चयनित महिला पंचायत सदस्य के नेतृत्व में एक समिति गठित होनी चाहिए। यह समिति आबादी का अनुपात स्थिर बनाने हेतु बहुक्षेत्रीय कार्यसूची बनाये और वह महिलाओं के मुद्दों को ध्यान में ले। योजनाओं पर विचार स्थानीय स्तर पर हो, वह बने, उस पर अमल हो और राष्ट्रीय स्तर पर उसे मदद दी जाए, यह अपेक्षित है। यह समिति तय करे कि गाँव में किन-किन प्रजनन संबंधी स्वास्थ्य सेवाओं की परिपूर्ति नहीं हुई और जरूरत व माँग के आधार पर ग्राम स्तर पर सामाजिक एवं जनसंख्या संबंधी योजना बनाये। जन्म, मृत्यु, विवाह, गर्भावस्था संबंधी विवरण अच्छी तरह से दर्ज किये जाएँ, इस संबंध में पंचायतों को एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। प्रसूति सुरक्षापूर्वक हो, छोटे परिवार की प्रवृत्ति बनी रहे और बाल-मृत्यु व मातृत्व मृत्यु दर घटे तथा 14 वर्ष तक के बालक-बालिकाओं को अनिवार्य शिक्षा मिले, इसके लिए पंचायतों को काम करना होगा।

राष्ट्रीय जनसंख्या नीति में ऐसी अपेक्षा भी व्यक्त की गई है कि पंचायतों को लघु एवं स्वस्थ परिवार के लाभ, बालिकाओं को पढ़ाने के लाभ तथा वेतन-रोजगारी में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लाभ लोगों को समझाने के लिए समुदाय के निष्णातों की मदद लेनी चाहिए। नागरिक-समाज को भी इन सेवाओं की पहुँच, प्राप्ति एवं माँग-क्षमता की देखरेख हेतु उन्हें शामिल करना चाहिए।

कार्यलक्ष्यी योजना

'राष्ट्रीय जनसंख्या नीति' में 12 व्यूहात्मक विषयों के अनुसार 103 मुद्दों की कार्यलक्ष्यी योजना तैयार की गई है । कुछ महत्त्वपूर्ण मुद्दे ये हैं :

1. प्रजनन संबंधी एवं बाल स्वास्थ्य संभाल संबंधी बुनियादी सेवाएँ प्रदान करने के लिए स्वैच्छिक दलों का उपयोग किया जाए।
2. प्रत्येक गाँव में एक प्रसूति कक्ष स्थापित करना, आवश्यक साधनों एवं दवाओं से उसे सुसज्जित करना।
3. मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य संभाल प्रदान करने हेतु कार्मिकों

के तकनीकी कौशल बढ़ाना।

4. जिले से निचले स्तर पर तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में प्रसूति संबंधी दवाखाने बनाना।
5. पल्स पोलियो अभियान को तीव्रता से आगे बढ़ाना।
6. शहरी स्वास्थ्य देखभाल हेतु सर्वग्राही व्यूहरचना गढ़ना।
7. शहरी झोंपड़पट्टी इलाकों में परिवार नियोजन सेवाओं संबंधी सामाजिक विपणन कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ बनाना।
8. छोटे परिवार की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देने के लिए पुरुषों पर अधिक ध्यान देना और इसके लिए जानकारी, प्रचार व शिक्षण का अभियान चलाना।
9. सरकार जनसंख्या अनुसंधान केन्द्रों की पुनर्रचना करेगी।
10. जानकारी प्रसार-प्रचार व शिक्षण के लिए नागरिक समाज को सम्मिलित किया जाएगा।

गुजरात में जनसंख्या नियंत्रण के प्रयास

'संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष' (युनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड) संकलित जनसंख्या एवं विकास परियोजनाएँ भारत में चलाती हैं। गुजरात में यह परियोजना सुरेन्द्रनगर, कच्छ, दाहोद, साबरकांठा में चलती है। इस कार्यक्रम के उद्देश्य संक्षेप में निम्न हैं :

1. प्रजनन-विषयक एवं बाल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारना तथा परिवार नियोजन की सेवाओं में सुधार करना।
2. महिलाओं का सामाजिक व शैक्षणिक स्तर सुधारना।
3. महिलाओं को उनके प्रजनन संबंधी अधिकारों के विषय में जानकारी देना।

इस परियोजना का कुल बजट रु. 31 करोड़ का है। राज्य सरकार और संबंधित जिलों के बीच यह राशि व्यय की जाती है।

यू.एन.एफ.पी.ए. और गुजरात सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा अहमदाबाद में गुजरात की आगामी जनसंख्या नीति बनाने के संदर्भ में एक कार्यशाला का 1 मई, 2000 को आयोजित किया गया था। कार्यशाला में चिकित्सक, सरकारी अधिकारी एवं स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ता हाजिर थे। कार्यशाला में निम्न विचार प्रस्तुत किए गए :

1. देर से विवाह किए जाने की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन देना तथा युवकों के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना।

गुजरात में जनसंख्या संबंधी विवरण

1. कुल आबादी (करोड़ों में)	1991	4.13
	2000	5.00
2. ग्रामीण जनसंख्या (प्रतिशत)		66.00
3. शिशु जन्म दर	1994	27.00
4. शिशु मृत्यु दर	1994	8.70
5. बाल मृत्यु दर	1971	145.00
	1994	64.00
6. पाँच वर्ष से कम उम्र के बालकों की मृत्यु दर	1991	101.00
7. प्रति महिला प्रजनन दर	1993	3.30
8. बन्ध्यीकरण की पद्धति की जानकारी रखनेवाली विवाहित महिलाएँ (प्रतिशत)		96.00
9. बन्ध्यीकरण को अपनानेवाली विवाहित महिलाएँ(प्रतिशत)		41.00
10. स्वास्थ्य केन्द्र (1994)		
(अ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र		185
(आ) प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र		957
(इ) उप स्वास्थ्य केन्द्र		7274
11. अस्पताल (1994)		
(अ) सरकारी		339
(आ) निजी		2031
(इ) ग्रामीण अंचल में		190
12. मातृत्व मृत्यु दर (1997) (प्रति 1 लाख के जन्म पर)		29.00
13. सम्पूर्ण टीकाकरण द्वारा (1997) रक्षित बालकों का प्रतिशत		50.00
14. चार से ज्यादा बच्चों वाली महिलाओं का प्रतिशत (1993)		18.00
15. अस्पतालों में प्रसूतियों का प्रतिशत (1997)		37.00
16. जनसंख्या नियंत्रण के साधनों का उपयोग करने वाले लोगों का प्रतिशत (1997)		57.00
17. स्त्रियों में साक्षरता प्रतिशत (1997)		49.00
18. 15 से 49 वर्ष की आयुवाली स्त्रियों का प्रतिशत (1991)		51.00

स्रोत : यू.एन.एफ.पी.ए. इन इन्डिया - गुजरात जनवरी 2000

2. विवाह के विवरण को दर्ज करना अनिवार्य किया जाए।
3. ऐसा प्रबंध करना ताकि प्रसूति अस्पतालों में हो।
4. गरीबों के लिए सामाजिक सुरक्षा की योजनाएँ बढ़ाना।
5. जनसंख्या नियंत्रण हेतु प्रोत्साहन कारगर नहीं रहे।
6. नगदी प्रोत्साहन को दूर कर देना चाहिए। उसके बजाय स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता सुधारी जानी चाहिए।
7. ग्रीन कार्ड तथा पुत्री की योजना संबंधी वर्तमान लाभ जारी रखना।
8. नए दंडात्मक कदम शुरू न किए जाए क्योंकि वे सफल नहीं रहे।
9. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन सेवाओं का ज्यादा से ज्यादा प्रचार-प्रसार करना।
10. स्वास्थ्य एवं परिवार नियोजन के कार्यक्रम में पुरुषों की भागीदारी को बढ़ाना।

कार्यशाला में गुजरात की जनसंख्या नीति में मसौदे पर चर्चा हुई थी और उसे अंतिम रूप दिया गया था । यह नीति शीघ्र ही राज्य सरकार के द्वारा घोषित किए जाने की आशा है ।

उपसंहार

भारत में जनसंख्या वृद्धि एक बड़ी समस्या है अतः संसाधनों की तंगी का अभाव रोजमर्रा की बात है। पर यह बात बार-बार स्वीकार की गई है कि जनसंख्या-नियंत्रण हेतु शिक्षा, स्वास्थ्य एवं रोजगार श्रेष्ठ साधन हैं। इसके अलावा मानव विकास के इस पक्ष पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने के साथ-साथ परिवार-नियोजन के कार्यक्रम तथा जनसंख्या-नियंत्रण के कामों पर उतना ही ध्यान देने की जरूरत है। दोनों को एक-दूसरे के एवज में काम में नहीं लिया जा सकता अपितु ये दोनों परस्पर भली भाँति पूरक बन सकते हैं। जैसा कि केन्द्र सरकार की जनसंख्या नीति में कहा गया है वैसे देश के अर्थतंत्र की जरूरत के साथ सुसंगत हो, उस स्तर तक जनसंख्या को स्थिर करने की आवश्यकता है। गुणवत्तात्मक सेवाओं के परिणामस्वरूप जब मृत्यु दर कम होती है तो जन्म दर को भी घटाना अत्यंत आवश्यक है। तभी जनसंख्या का अनुपात स्थिर होगा। आर्थिक विकास के फल सभी को समान रूप से पहुँचाने हेतु यह एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मार्ग है।

पृष्ठ 28 का शेष भाग

अन्य गतिविधियाँ

- उन्नति में शामिल होने वाले नये लोगों के लिए एक सप्ताह का आमुखीकरण कार्यक्रम किया गया। तीन में से दो व्यक्ति सुश्री मदुरा पंडित तथा श्री स्वामीनाथन स्व-शासन को प्रोत्साहन देने में लगे हैं जबकि श्री आलोक राणासिंह राजस्थान में स्थानीय प्रयासों का समर्थन कर रहे हैं।
- जेवियर्स इन्स्टीट्यूट ऑफ सोशियल स्टडीज़ (रांची) के एक प्रथम वर्ष के छात्र के अनुसन्धान अध्ययन को हमारे साझेदार ग्रामीण विकास शोध एवं तकनीकी केन्द्र (टोंक), राजस्थान के साथ मिलकर सहयोग दिया गया।
- स्वैच्छिक क्षेत्र के लिए 'प्रेरक विधित वातावरण' पर एक कार्यशाला में हमने सक्रिय रूप से भाग लिया। स्वैच्छिक संगठनों पर से विदेशी चंदा नियंत्रण अधिनियम जैसे अंकुशों को उदार बनाने के लिए यह कार्यशाला नई दिल्ली के वालन्टरी एक्शन नेटवर्क तथा अहमदाबाद के बिहेवियरल साइंस सेन्टर ने संयुक्त रूप से अहमदाबाद में किया था।

चरखा की गतिविधियाँ

- इस तिमाही में जल, पर्यावरण, पेशा सम्बंधित स्वास्थ्य, आदिवासी स्त्रियों का अधिकारों के लिए संघर्ष, सूखा प्रबन्धन तथा शिक्षा जैसे मुद्दों पर विभिन्न स्वैच्छिक संस्थाओं के कार्यकर्ताओं ने 18 लेख लिखे।
- पंचायती राज संस्थाओं कि स्थिति की समीक्षा के लिए 8-9 मई, 2000 को हुई कार्यशाला के लिए उन्नति को मीडिया सहयोग दिया गया। 'बाल मजदूरी के खिलाफ अभियान' तथा गर्मी की छुट्टियों के बाद स्कूलें फिर खुलने के अवसर पर दाखिले तथा शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 'गणतर' को मीडिया सहयोग दिया गया।
- नडियाद में पास्टोरल सेन्टर द्वारा आयोजित पत्रकारिता कार्यशाला में 26 मई, 2000 को मीडिया में विकास तथा मीडिया में रिपोर्टिंग विषय पर सत्र आयोजित किया गया।

मिलकर हम तूफान हैं : सहभागी संकल्प की ताकत

यह रपट **श्री निधि लाभ** के डूंगरपुर, बीछीवाड़ा के गाँवों की विभिन्न ग्रामीण महिलाओं से सम्पर्क करके तथा जन शिक्षण एवं विकास संगठन (पी.ई.डी.ओ.) के स्टाफ कर्मियों से बातचीत के आधार पर तैयार की। यह स्वैच्छिक संगठन डूंगरपुर में काम करता है।

संदर्भ

बीछीवाड़ा ब्लाक, डूंगरपुर शहर से करीब 20 किलोमीटर दूर है। नंगी पहाड़ियां तथा छितराये हुए घर इस क्षेत्र की पहचान है। इस क्षेत्र में से होकर गुजरने वाले से यहाँ के लोगों का कठिन जीवन छुपा नहीं रहता। ऊसर भूमि, पानी के साधनों की कमी तथा गाँवों में आधारभूत सुविधाओं का अभाव इस क्षेत्र में व्याप्त है। इस क्षेत्र में अधिकतर आदिवासी भील रहते हैं।

परन्तु 12 वर्ष पहले गाँवों की महिलाओं ने अपनी हालत को बदलने का फैसला किया और आपस में मिल-जुल कर उन्होंने यह कर भी दिखाया। स्थानीय ताकतवर लोगों के खिलाफ उनके सामूहिक अभियान की कहानी यहाँ प्रस्तुत है।

सन् 1987 में जनशिक्षण एवं विकास संगठन (पी.ई.डी.ओ.) नाम के एक स्वैच्छिक संगठन ने, जो बीछीवाड़ा ब्लाक के एक गाँव माड़ा में स्थित है, गाँव में धुआँविहीन चूल्हे का कार्यक्रम शुरू किया। इस दौरान इस संगठन के प्रतिनिधियों को महिलाओं के सम्पर्क में आने का मौका मिला। प्रतिनिधियों ने महिलाओं को माड़ा में तीन दिन के महिला मेले में आने का निमंत्रण दिया।

मेले में हुए विचार-विमर्श से पता चला कि भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए गतिविधियों की जरूरत है, जिससे आय बढ़े। इससे गाँवों में नवीकरण का काम हाथ में लिया गया। एक साल बाद जब कार्यक्रम की समीक्षा की गई कि बैठकों में महिलाओं की भागीदारी कम क्यों है तो उन समस्याओं का पता चला जो पर्यावरण के परिप्रेक्ष्य में महिलाओं के मुद्दों पर सामने आती है। महिलाओं की भागीदारी में मुख्य समस्या थी समय की कमी तथा पुरुषों का विरोध, इसे देखते हुए महसूस किया गया कि महिलाओं के लिये अलग मंच की जरूरत है।

महिलाओं ने मिलकर महाजनों तथा साहूकारों से लड़ाई लड़ी

बीछीवाड़ा के कुछ गाँवों की महिलाओं ने प्रशिक्षण तथा जानकारी के दौरे में हिस्सा लिया। इन महिलाओं ने अपनी रोजमर्रा की समस्याओं और तकलीफों पर अनौपचारिक वातावरण में चर्चा की। चर्चाओं में यह बात उभर कर सामने आई कि पुरुषों के पलायन के बाद घर-बार चलाने की प्राथमिक जिम्मेदारी इन्हीं महिलाओं पर आ जाती है। ऊसर भूमि तथा पानी की कमी के कारण उनकी आय के साधन बहुत सीमित थे। परंतु रोजाना के खर्चों के लिये उन्हें हमेशा पैसों की जरूरत रहती थी। इन खर्चों की पूर्ति के लिए उनके पास शायद ही कभी जमा पूंजी रही हो। अनपेक्षित तथा आपात खर्चों के लिए उनके पास पैसे उधार देने वाले के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था।

महिलाओं की इस बुरी दशा का साहूकार फायदा उठाता था और उनका खुलकर शोषण करता था। महिलाओं को अपने जेवर या

अन्य सम्पत्ति छोटी सी रकम के लिए गिरवी ऱखने पड़ते थे। उधार पैसे की एवज में सामान गिरवी रखने के बावजूद साहूकार ऊँचा ब्याज वसूलता था। यह ब्याज 10 प्रतिशत प्रतिमाह तक भी होता था जो सालाना 120 प्रतिशत बनता था। इससे महिलाओं को अन्ततः अपनी रहन रखी सम्पत्ति से हाथ धोना पड़ता था। सम्पत्ति के चले जाने से गरीब और गरीब हो जाते थे और उन्हें और अधिक पैसों की जरूरत पड़ती तथा फिर उसी साहूकार के पास ही पहुँचते थे। यह एक कुचक्र बन जाता। यह कहानी बरसों से चली आ रही थी।

महिलाओं ने जब अहमदाबाद की ‘सेवा बैंक’, खेरोज के ‘मानव कल्याण ट्रस्ट’ तथा झगड़िया का ‘सेवा रूरल’ का कार्यक्रम देखा तो इन पर उसका गहरा प्रभाव पड़ा। ग्रामीण महिलाओं के समूह तथा इनकी आर्थिक गतिविधियों के विचार से वे अत्यधिक प्रभावित हुई। गलालीबेन ने तय कर लिया कि वह अपने गाँव डेडको का वेला में बचत समूह बनायेगी। गाँव की अन्य महिलाओं को तैयार करके एक समूह बनाने की जिम्मेदारी भी उसने ली।

शिविर से लौटने के बाद जल्द ही उसने गाँव की अन्य महिलाओं से मिलना शुरू किया और अन्ततः पांच अक्टूबर, 1988 को वह गाँव में पहला बचत समूह बनाने में कामयाब रही। महिलाओं में बहुत उत्साह था और उन्होंने दो रुपये प्रतिमाह की बचत से काम शुरू किया। इन छोटी बचतों से उन्होंने साहूकार के चंगुल से छूटने में आशा की किरण देखी। परंतु समूह में से उधार लेने का इनका सपना पूरा होने में अभी देरी थी।

पहली बाधा फिर इन महिलाओं के पतियों से आई। गाँव के सन्देह करने वाले पुरुषों के अलावा व्यवहारिक समस्या मामूली बचत के कारण थी। महिलाएँ आपस में मिलकर प्रतिमाह केवल तीस-चालीस रुपये की ही बचत कर पाती थीं। इसका मतलब हुआ कि उनकी जरूरतें पूरी करने लायक कोष बनने में काफी लम्बा समय लगेगा। दूसरी तरफ उन्हें काफी बड़ी रकम की जरूरत थी जिससे वे साहूकार के चंगुल से निकल सकें।

परंतु ये बाधाएं महिलाओं का उत्साह कम नहीं कर पाई। अपनी जरूरतों के अनुरूप बचतों के बढ़ने का इन्तजार करने की बजाय इन महिलाओं ने अपनी संख्या बल का फायदा उठाने की सोची। दब्बू और विनीत आदिवासी महिलाएँ कृतसंकल्प लड़ाका बन गई। उन्होंने तय किया कि वे सब मिलकर साहूकार पर दवाब बनाये कि वह महिलाओं के गिरवी रखे गहने छोड़ दें। जब साहूकार साधारण बातचीत से राजी नहीं हुआ तो समूह ने अधिक सक्रियता वाला रुख अपनाया।

यह धरना महिलाओं का नैतिक बल बढ़ाने में मददगार साबित हुआ। साहूकार से किसी सम्पत्ति को छुड़ा लेना कोई छोटी सफलता नहीं थी। शीघ्र ही ‘डेडको का वेला बचत एवं साख संघ’ के सदस्य गाँव और आस-पास के इलाकों में चर्चित हो गये। इस घटना ने कई नये समूहों तथा नये सदस्यों की उनमें भर्ती को बढ़ावा दिया। इसके उदाहरण बेड और घोडाकड में देखने को मिले जहाँ रहन रखे हुए जेवरात साहूकारों से मुक्त कराये गये।

भ्रष्ट अधिकारियों के विरुद्ध जंग

क्षेत्र में साख का एक अन्य स्रोत था ‘लेम्पस’ संस्था जो किसानों को खेती तथा पशुपालन के लिए ऋण देती थी। यह सोसायटी उचित ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराती थी, इसलिए गाँव वाले इसके पास जाते थे। साहूकारों के साथ हुई घटना के बाद महिलाओं ने इस सोसायटी को किये गये पुनर्भुगतान का हिसाब लगाया। उनकी गणना के अनुसार तथा पुनर्भुगतान के तयशुदा समय के हिसाब से लेम्पस से लिया उनका सारा कर्जा चुक जाना चाहिए

शेष पृष्ठ 13 पर

गतिविधियां

दलितों के उत्पीड़न पर राष्ट्रीय सुनवाई

समाज के पिछड़े वर्गों तथा दलितों का शोषण हमारे समाज में गहराई तक फैला हुआ है। इन वर्षों में देश भर के दलितों पर अत्याचारों में भारी बढ़ोतरी हुई है। उँची जाति के लोगों के हमलों से दलितों को बचाने के लिए संविधान में कई कानून बनाये जाने के बाद भी हालात में कोई बहुत फर्क नहीं आया है। बढ़ते हुए अत्याचार वर्तमान समाज में दलितों की दयनीय स्थिति को ही दर्शाते हैं।

दलित मानव अधिकारों पर अभियान ने 18 और 19 अप्रैल, 2000 को चेन्नई में एक राष्ट्रीय जन सुनवाई रखी।

राष्ट्रीय जन सुनवाई निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए की गई :

- अत्याचारों के शिकार दलितों को जन अदालत के समक्ष अपना मामला रखने का स्थान देना।
- राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय को अत्याचार के शिकार दलितों को समर्थन देने का मौका देना।
- आमजन के विचारों को बदलने के लिए मीडिया का समर्थन पाना।
- लोकतंत्र में कानून और व्यवस्था कायम करने तथा न्याय देने की जिम्मेदारी निभाने वालों के ध्यान में इन अत्याचारों को लाना।
- उँची जाति के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बिठाना कि जाति का सामन्ती स्वरूप तथा छुआछूत का व्यवहार आज के बदलते समय के अनुकूल नहीं है।

जूरी के सदस्यों के सामने देश भर के 50 केस प्रस्तुत किये गये। जूरी के सदस्यों में उच्च न्यायालय के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के वकील तथा कई अन्य सक्रिय महिला कार्यकर्त्ता तथा उदारमन लोग शामिल थे।

अत्याचारों के शिकार लोगों ने जूरी के समक्ष अपनी व्यथा कही। कुछ मामलों की जांच में शामिल पुलिसकर्मी भी जूरी के समक्ष प्रस्तुत हुए जिनसे पब्लिक प्रौसीक्यूटर ने जिरह की। दलितों पर अत्याचार के शिकार लोगों का मुकदमा लड़ने वाले वकीलों ने भी जूरी के सामने अपने पक्ष प्रस्तुत किये। राजस्थान के निम्न लिखित तीन मामलों को निर्णय के लिए जूरी के सामने प्रस्तुत किये गये :

- कुम्हेर में दलितों की हत्या (भरतपुर जिले का कुम्हेर गाँव)
- लाल बन्धुओं को गैर कानूनी रूप से बंधक बनाना तथा उनको सताना (दौसा जिले का टोरडा गाँव)
- बाबेखर गाँव में तीन दलितों की हत्या (भरतपुर जिले का बाबेखर गाँव)

अत्याचार के शिकार लोगों की व्यथा सुनकर जूरी ने अपना फैसला दिया। जूरी के फैसले के आधार पर राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर दलितों पर अत्याचार रोकने का अभियान चलाया जायेगा।

गैर सरकारी संगठनों, दानदाता संस्थाओं, संयुक्त राष्ट्र के संगठनों, मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति, जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग आदि के प्रतिनिधि मंडल समूचे क्षेत्र से इस जन सुनवाई में भाग लेने के लिए आये। उन्नति के प्रतिनिधि ने भी जन सुनवाई में हिस्सा लिया।

अम्बेडकर जयन्ती मनाई

हमारे बाड़मेर तथा जोधपुर जिलों में साझेदार संगठनों, मरुधर गंगा सोसायटी, वसुंधरा सेवा समिति, जागरूक ग्रामीण समिति तथा आई. डी. ई. ए. ने डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर की 109 वीं जयन्ती पर जोधपुर में कई रैलियां निकाली और मीटिंग की। इन रैलियों के आयोजन में 'उन्नति' ने इन गैर सरकारी संगठनों को सहयोग दिया। इसमें दलितों के हितों में सभी भागीदारों को एक मंच पर लाने में की गईं मदद शामिल थी। पिछली 21 से 23 फरवरी, 2000 तक 'उन्नति' द्वारा आयोजित रामदेवरा सम्मेलन में पारित प्रस्तावों के

एक भाग के रूप में यह जयन्ती मनाई गई।

अम्बेडकर सेना, दलित रिसर्च एण्ड इन्फर्मेशन सेन्टर, माणकलाव तथा सभ्य समाज की अन्य संस्थाओं के मिले-जुले प्रयासों से जोधपुर में एक रैली निकाली गई। इस रैली में ट्रैक्टरों, बसों तथा मोटरसाइकिलों पर कोई साढ़े तीन सौ स्त्री, पुरुषों तथा बच्चों ने भाग लिया। रैली राजबाग के राजाराय पार्क से शुरू होकर नागौरी गेट, अम्बेडकर सर्किल, ज्योतिबा फुले सर्किल, सोजती गेट, जालोरी गेट तथा आकलिया चौराहे होती हुई प्रताप नगर में जाकर सम्पन्न हुई।

हमारी रणनीति के तहत दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को प्रदर्शित करने वाले बैनर बड़े पैमाने पर तैयार किये गये जिन्हें वाहनों पर लगाया गया। समुदाय को इसके लिये तैयार किया गया कि सार्वजनिक स्थानों जैसे प्राथमिक स्कूलों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, पंचायत भवनों तथा अन्य सामुदायिक स्थानों पर दलितों के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ वे आवाज उठायें।

हमारे साझेदार वसुंधरा सेवा समिति तथा जागरूक ग्रामीण समिति ने भी वर्तमान दलित अधिकार अभियान के तहत रामदेवरा सम्मेलन में पारित प्रस्ताव के अनुरूप कल्याणपुर तथा लूणी ब्लाकों में ऐसे ही समारोह आयोजित किये।

विश्व शिक्षा फोरम (डकार)

सेनेगल के डकार में 26 से 28 अप्रैल, 2000 को हुए विश्व शिक्षा फोरम में संभागी सरकारों द्वारा स्वीकृत कार्ययोजना के डकार ढांचे के प्रमुख बिन्दु :-

लक्ष्य :

1. शुरूआती बालपन की व्यापक देखभाल तथा शिक्षा, खासकर प्रतिकूल स्थितियों में रहने वाले नाजुक बच्चों को विशेष सुविधा देना तथा उन्हें आगे बढ़ाना।
2. पन्द्रह वर्ष तक के सभी बच्चों को अच्छी किस्म की निःशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा को सुनिश्चित करना। इसमे जोर लड़कियों तथा अल्पसंख्यक वर्ग के बच्चों पर हो।
3. यह सुनिश्चित करना कि सभी नौजवान तथा वयस्क लोगों को उचित जीवन की योग्यताएँ हासिल करने के कार्यक्रम का लाभ लेने का मौका मिले।
4. सन् 2005 तक 50 प्रतिशत प्रौढ़ साक्षरता हासिल करना खासकर महिलाओं के लिये। सभी वयस्कों को सतत शिक्षा पाने का समान अधिकार देना।
5 प्राथमिक तथा सैकण्ड्री शिक्षा में सन् 2005 तक सामाजिक लिंग भेद समाप्त करना तथा 2015 तक सम्पूर्ण शिक्षा में सामाजिक लिंग भेद समाप्त करना। लड़कियों को अच्छे किस्म की बुनियादी शिक्षा पाने का पूर्ण तथा समान अवसर देने पर ध्यान केन्द्रित करना।
6. शिक्षा के सभी पहलुओं को सुधारना तथा सभी में श्रेष्ठता सुनिश्चित करना ताकि मापी जा सकने व मान्यता दे सकने वाली योग्यता पाई जा सके- खासकर साक्षरता, अंकगणित तथा जीवन की दक्षता के मामले में।

रणनीतियाँ :

1. 'सभी को शिक्षा' देने का राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय संकल्प बनाया जाय। राष्ट्रीय कार्ययोजना बनाई जाय तथा बुनियादी शिक्षा में निवेश बढ़ाया जाय।
2. 'सभी को शिक्षा' की नीतियों को बढ़ावा दिया जाय जो गरीबी उन्मूलन तथा विकास की रणनीतियों से जुड़ी हो।
3. शिक्षा के विकास की रणनीतियों के पर्यवेक्षण तथा मूल्यांकन तथा उन्हें बनाने में सभ्य समाज की भागीदारी सुनिश्चित की जाय।
4. शैक्षणिक प्रशासन तथा प्रबन्धन की संवेदनशील, भागीदारी वाली तथा जवाबदेह व्यवस्था विकसित करें।
5. विवादों, प्राकृतिक आपदाओं तथा अस्थिरता से प्रभावित शिक्षा प्रणाली की जरूरतें पूरी करें तथा शैक्षणिक कार्यक्रम इस तरीके से चलावें जो आपसी समझ, शांति तथा सहनशीलता को बढ़ावा दें तथा हिंसा और झगड़ों को रोकने में मदद करें।
6. शिक्षा में सामाजिक लिंग समानता की एकीकृत रणनीतियाँ लागू करें जो दृष्टिकोणों, मूल्यों तथा व्यवहारों से बदलाव को पहचान सकें।
7. एच. आई. वी. तथा एड्स को रोकने के लिए शैक्षणिक कार्यक्रम आवश्यक रूप से लागू करें।

8. ऐसा सुरक्षित तथा स्वस्थ शैक्षणिक वातावरण बनायें जो सबको शामिल करता हो तथा समतामूलक हो, जो सीखने में श्रेष्ठता दे सके तथा जिसके परिणाम मापे जा सकें।
9. शिक्षकों की हैसियत, मनोबल तथा योग्यता को बढ़ाये।
10. नई सूचना और संचार तकनीक का उपयोग सभी को शिक्षा के लक्ष्य पाने में करें।
11. सभी को शिक्षा के लक्ष्यों की प्राप्ति की प्रगति पर सिलसिलेवार निगाह रखें तथा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर रणनीतियों पर ध्यान रखें।
12 सभी कोशिशों का लक्ष्य हासिल करने के लिए मौजूदा प्रणाली को ही सुधार कर काम को गति दें।

संकल्प

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय मानता है कि कई देशों में किसी निश्चित समय सीमा से सभी को शिक्षा का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अभी साधनों की कमी है। इसलिए अनुदान तथा रियासदी मदद जैसे रूप में नये वित्तीय साधन जुटाये जाने चाहिए। यह साधन द्विपक्षीय तथा बहुपक्षीय वित्तीय एजेन्सियों, जिनमें विश्व बैंक तथा क्षेत्रीय विकास बैंक शामिल हैं, तथा निजी क्षेत्र द्वारा जुटाये जा सकते हैं। हम यह पुष्टि करते हैं कि यदि सबको शिक्षा देने का संकल्प गंभीर है तो साधनों की कमी के कारण किसी देश को कोई कठिनाई नहीं आने दी जायेगी।

अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय इस सहकारी संकल्प को मदद करेगा। इसके लिए वह विश्वव्यापी पहल करेगा जिसका उदेश्य ऐसी रणनीतियां विकसित करने तथा साधन जुटाने का होगा जो राष्ट्रीय प्रयासों को प्रभावी मदद करेगा। इस पहल में निम्नलिखित विकल्पों पर विचार किया जा सकता है :

- शिक्षा, खासकर बुनियादी शिक्षा में बाहरी वित्तीय सहयोग बढ़ाकर
- बाहरी सहयोग की आवक सुनिश्चित कर
- दानदाताओं के बीच में बेहतर तालमेल को बढ़ाकर
- क्षेत्रवार रणनीतियों को मजबूत कर
- बुनियादी शिक्षा के साथ गरीबी उन्मूलन के लिए कर्जों से मुक्ति के प्रभावी प्रयास कर
- सबको शिक्षा के लक्ष्यों की प्रगति पर अधिक प्रभावी तथा नियमित निगाह रखकर तथा समय-समय पर मूल्यांकन करके
- साथ ही साथ कम विकसित रणनीतियों वाले देशों को सबकी शिक्षा के लिए तेजी से प्रगति के लिए मदद देकर। इन देशों में झगड़ों तथा संघर्षों से घिरे देश शामिल हैं।
- शिक्षा सबके लिए 2000 का मूल्यांकन दर्शाता है कि शिक्षा की चुनौती अफ्रीका के उप-सहारा क्षेत्र, दक्षिण एशिया तथा सबसे कम विकसित देशों में है। इन देशों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

क्रियाविधि

सभी राज्यों से अनुरोध किया जायेगा कि वे सन् 2002 तक अपनी राष्ट्रीय योजनाएँ बनाएँ अथवा मौजूदा योजना को सुदृढ करें। यह योजनाएँ वृहद गरीबी उन्मूलन तथा विकास के ढांचे में अधिक पारदर्शी तथा लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के जरिये एकीकृत हों। इनमें सभी भागीदार खासकर लोगों में प्रतिनिधि, समुदाय में सीखने वाले, गैर सरकारी संगठन, माता-पिता तथा सभ्य समाज शामिल है।

यह योजनाएँ बजट की ऐसी प्राथमिकताएँ तय करेंगी जिनसे जल्द से जल्द सन् 2010 तक सभी को शिक्षा के लक्ष्य प्राप्त किये जा सकें। वे कुछ विशेष समस्याओं से पार पाने के लिए स्पष्ट रणनीतियां भी बनायेंगी जिनमें लड़कियों की शिक्षा तथा सामाजिक लिंग समानता का संकल्प होगा। राष्ट्रीय रणनीतियों को मदद देने वाली क्षेत्रीय गतिविधियों सक्षम क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय संगठनों, नेटवर्कों पर आधारित होगा।
(नोटः पूरा पाठ, आग्रह पर, ई-मेल के जरिये निःशुल्क उपलब्ध है)

दो भारतीय समाज-सेवी मैगासेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए

इस वर्ष दो भारतीय समाज-सेवी श्रीमती अरुणा राय व जोकिन अरुपुत्तम रैमन मैगासेसे पुरस्कार से सम्मानित किये गये हैं।

श्रीमती अरुणा राय लगभग तीस बरसों से राजस्थान में समाज सेवा का काम कर रही हैं। पिछले दस वर्षों से किसान मजदूर संगठन के काम में लगीं हैं। मजदूरों को न्यूनतम मजदूरी दिलवाने

श्रीमती अरुणा राय

एवं गाँव के हर आदमी को सूचना का अधिकार दिलवाने में अरुणा ने एक लंबी और निर्णायक लड़ाई लड़ी है।

जोकिन अरुपुत्तम शहरों की कच्ची बस्ती निवासियों के एक संगठन के संस्थापक हैं। इन भारतीयों के साथ चीन के एक पर्यावरणविद, फिलीपीन्स के नगा शहर के मेयर एवं इंडोनेशिया के पत्रकार को भी दिया गया है।

इस पुरस्कार में एक मैडल व 50,000 डालर नकद दिये जाते हैं। यह पुरस्कार एक समारोह में 31 अगस्त को मनीला में दिया जाएगा। इस पुरस्कार की स्थापना 1957 में की गयी थी। रैमन मैगासेसे फिलीपीन्स के पूर्व राष्ट्रपति थे और उनकी स्मृति में ही इस पुरस्कार की स्थापना की गयी। अब इस पुरस्कार को पाने वाले लोगों की कुल संख्या 216 हो गयी है।

भावी कार्यक्रम

पिछले कुछ दशकों से विकास के लिए लोगों पर केन्द्रित तरीकों को आगे बढ़ाने पर बहस जारी है। इस उपाय में लोगों की योग्यता को बढ़ाकर उनकी भागीदारी को प्रकाश में लाने पर जोर दिया जाता है ताकि वे अपने जीवन को बेहतर बना सकें तथा उस पर अधिक नियंत्रण कर सकें। इस ढांचे में सहभागी प्रशिक्षण अत्यावश्यक है ताकि व्यवस्थित तरीके से परिवर्तन संभव हो। सहभागी प्रशिक्षण अनुभवी विकासकर्ता को दूसरे लोगों को सहभागी विकास में प्रशिक्षित करना सिखाता है। यह सीखने वाले पर केन्द्रित है और सहभागिता की मौजूदा जानकारी को और परिपक्व बनाता है।

प्रशिक्षकों की क्षमतावर्धन के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम का प्रथम चरण अगस्त 1-7, 2000 के दौरान उदयपुर में आयोजित होगा और दूसरा चरण दिसम्बर 12-17, 2000 के दौरान आयोजित होगा। कार्यक्रम के उद्देश्य इस प्रकार हैं :

1. विकास कार्यकर्ता को सहभागी प्रशिक्षण के दर्शन से अवगत कराना।
2. सहभागी प्रशिक्षण के संचालन के लिए विकास कार्यकर्ता की क्षमता-जानकारी, दृष्टिकोण एवं कौशल का विकास करना।

कार्यक्रम की विषयवस्तु निम्नलिखित हैं :

1. सहभागी प्रशिक्षण के आयोजन के लिए सैद्धांतिक प्रारूप प्रौढ़ शिक्षण के सिद्धांत, सहभागी प्रशिक्षण के सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रशिक्षण की रणनीति।
2. समूह प्रक्रियाओं, समूह गतिशीलता और छोटे समूह के अनुकूलन को समझना।
3. स्व-विकास और प्रशिक्षकों की भूमिका।
4. प्रशिक्षण डिज़ाइन तैयार करना व उपयुक्त प्रशिक्षण पद्धति का उपयोग करना।

यह प्रशिक्षण सात-सात दिनों के दो चरणों में होगा। पहला चरण अगस्त 1-7, 2000 के दौरान आयोजित होगा। इसमें मुख्यतया सहभागी प्रशिक्षण कार्यपद्धति के विचारात्मक पहलुओं से सहभागियों को पूर्वाभिमुख करवाना।

चार माह के अंतराल के बाद दूसरा चरण दिसम्बर 12-17, 2000 के दौरान आयोजित किया जाएगा। इसमें सहभागियों के कौशल निर्माण पर जोर दिया जाएगा। इस चरण में, सहभागीगण उन मुद्दों और समस्याओं पर चर्चा करेंगे जो उन्हें अपने कार्यक्षेत्र में प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने में पेश आते हैं। यह कार्यक्रम हिन्दी भाषा में संचालित किया जाएगा। तथापि, गुजरात से आने वाले समूहों को शिक्षण सामग्री गुजराती में दी जाएगी।

दोनों चरणों (प्रत्येक चरण सात दिन का है) के लिए शुल्क 6000/- रु. प्रति सहभागी है। इसमें रहने, खाने व शिक्षण सामग्री का आंशिक व्यय शामिल है। संबंधित संस्था को अपने कार्यकर्ताओं का यात्रा व्यय स्वयं भुगतना है।
संपर्क : उन्नति, अहमदाबाद

संदर्भ साहित्य

पंचायती राज : नया कानून-नई व्यवस्था

'पंचायती राज : नया कानून-नई व्यवस्था' नामक खेल सामग्री का निर्माण **'उन्नति - विकास शिक्षण संस्थान'**, द्वारा पंचायती

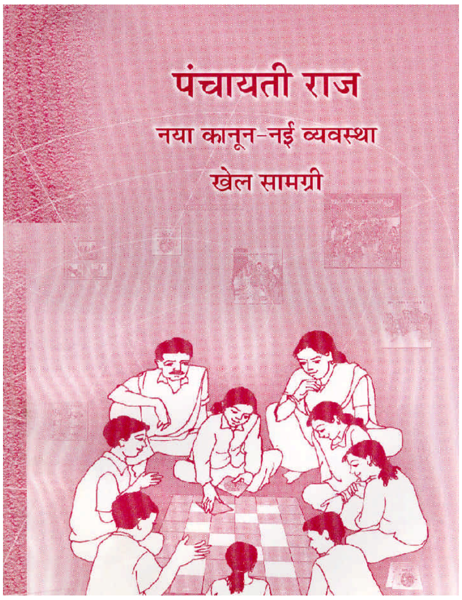

राज व्यवस्थ के सशक्ति-करण हेतु किया गया है। यह खेल सामग्री ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले किशोर एवं युवावर्ग तथा वयस्कों के लिए बनाई गई है। इसके माध्यम से उन्हें पंचायती राज व्यवस्था तथा 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के विभिन्न पहलुओं की जानकारी प्राप्त होगी। 'स्थानीय सरकार' के रूप में पंचायती राज संस्थाओं की परिवर्तित भूमिका तथा स्थानीय स्वशासन में ग्रामवासियों की सहभागिता के महत्व तथा ज़रियों का विशेष उल्लेख किया गया है।

खेल सामग्री : 24 रंगीन चित्र-कार्डों के जोड़े यानी 48 **चित्र कार्ड** तथा खेल संबंधी पुस्तिका हर चित्र-कार्ड के जोड़े में पंचायती राज व्यवस्था तथा 63वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किए गए प्रावधानों के किसी एक पहलू के बारे में जानकारी उपलब्ध है।

खेल पुस्तिका में खेल सामग्री का विवरण, खेल खिलाने के लिए निर्देश एवं सुझाव तथा खेल पश्चात् चर्चा के लिए हर चित्र-कार्ड के माध्यम से दी गई सूचना से संबंधित विचाराधीन प्रश्न तथा टिप्पणी शामिल है। इस **खेल की निर्माण प्रक्रिया** में, खेल की विषय-वस्तु पर गहन अध्ययन, विषय-विशेषज्ञों से सलाह और अनेकों नवसाक्षर/साक्षर/निरक्षर किशोर एवं युवावर्ग तथा वयस्क समूहों के सुझाव तथा प्रतिक्रियाओं को जानने और समझने को विशेष महत्व दिया गया है।

खेल किनके लिए उपयोगी

13 वर्ष से बड़े बालकों/बालिकाओं को पंचायती राज के बारे में जानकारी देने तथा इस बारे में उनकी समझ बढ़ाने हेतु, औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रमों से जुड़े**शिक्षकगण** इसका उपयोग कर सकते हैं; **ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों तथा पंचायत सदस्यों** के लिए पंचायती राज व्यवस्था पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में, सरकारी या स्वयंसेवी संस्थाओं के**कार्यकर्ता/प्रशिक्षक** इस खेल को सहायक सामग्री के रूप में उपयोग कर सकते हैं। हिन्दी में निर्मित इस खेल की प्रतियां 'उन्नति' से उपलब्ध की जा सकती हैं : मूल्य : 200/- रुपये।

स्त्री तूं जागती रहेजे

स्त्री तू जागती रहना का संदेश देने वाली गुजराती तथा हिन्दी में बनी इस विडियो फिल्म का हम यहाँ उल्लेख कर रहे हैं। यह फिल्म संचेतना संस्थान ने बनाई है। फिल्म एक स्त्री के विवाह पूर्व एवं विवाहोपरांत जीवन की कहानी है। ससुराल की संवेदनहीनता तथा पति की उपेक्षा किस प्रकार एक स्त्री का जीवन नर्क बना सकती है इसकी करुण कथा यह फिल्म कहती है।

इस फिल्म में भी यह दर्शाया गया है कि घरेलू हिंसा से स्त्री के स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। मगर यह फिल्म यह भी कहती है कि स्त्री की सजगता एवं सक्षमता ऐसी परिस्थितियों से निपटना भी सिखा सकती हैं। यह फिल्म संदेश देती है कि स्त्री को जागृत रहना है। परिस्थितियों को अपनी जागृति से बदलना है। फिल्म प्राप्त करने का पता: संचेतना, 45-46, न्यूयोर्क ट्रेड सेंटर, अहमदाबाद-54.

राज्य स्तरीय विभाग

1. स्थानीय प्रयासों को समर्थन

गुजरात

- संस्थानिक विकास, खासकर कार्यक्रम समीक्षा तथा ग्रासरूट पर काम कर रहे समूहों के साथ आयोजना के लिए मदद उपलब्ध कराई गई। ये समूह निम्न मुद्दों पर काम करते हैं :- दलितों को संगठित करना (श्रमिक विकास संस्थान), मजदूरों को संगठित और शिक्षित करना (कामदार स्वास्थ्य सुरक्षा मंडल), महिलाओं पर होने वाली हिंसा (महिला पैचवर्क को-अपरेटिव) तथा स्वयं सहायता समूहों के जरिये महिलाओं को संगठित करना (सेन्टर फार इकोनोमिक एवं सोशियल कन्सर्न)
- हमें यह जानकर चिन्ता हुई कि द्वारका के निकट पोशित्रा में एक बंदरगाह परियोजना के लिए भूमि अधिगृहित की जा रही है परंतु लोगों को उसकी बिल्कुल जानकारी नहीं है और वे शोषण करने वाले बिचौलियों के द्वारा भ्रमित हो रहे हैं। परियोजना में लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए पोशित्रा की एक यात्रा आयोजित की गई तथा द्वारका के ग्रामीण विकास ट्रस्ट की सहभागिता में हस्तक्षेप की एक प्रणाली विकसित की गई।

राजस्थान

- रामदेवरा सम्मेलन (21 से 23 फरवरी, 2000) के अनुरूप दलितों को संगठित करने तथा उन्हें सक्षम बनाने के हमारे काम के तहत हमने सार्वजनिक स्थानों पर दलितों के साथ होने वाले भेदभाव को समाप्त करने के लिए एक अभियान शुरू किया। वर्तमान में यह अभियान जोधपुर और बाड़मेर जिलों में चल रहा है। स्कूलों, पीने के पानी के स्रोतों तथा पंचायतों में दलितों के प्रति अपनाये जाने वाले भेदभाव को रोकने के लिए ब्लाक स्तर के दलित सन्दर्भ केन्द्रों ने गाँवों में बैठकें आयोजित करने तथा सरकारी अधिकारियों एवं विद्यालय शिक्षकों को ज्ञापन देने की जिम्मेवारी ली। इस काम में होने वाली प्रगति पर हर माह नज़र रखी जाती है। लेकिन राज्य में भीषण सूखे के कारण बहुत अधिक प्रगति नहीं हो सकी है। अगली तिमाही में इस मुद्दे पर हम और अधिक जानकारी दे पायेंगे।
- राजस्थान के रेगिस्तान में सूखे की हालत बहुत खराब है। इससे चारे की कमी तथा बीमारियां फैलने से बड़े पैमाने पर मवेशियों की मौतें हुई हैं। ढाणियों में पीने के पानी की कमी है। राज्य सरकार ने राहत कार्य शुरू किये हैं। उन्नति ने अन्य स्थानीय संगठनों के साथ मिलकर पांच हजार परिवारों की मदद के लिए छह जगहों पर सूखा राहत के काम शुरू किये।
- जीवनयापन के मुद्दों पर स्थानीय अभियान को बढ़ाने के हमने हमारी मदद जारी रखी। ग्रामीण विकास अनुसंधान संस्थान, जो पाली जिले की लूणी तहसील के राणी गाँव में है, को निष्क्रमण करने वाले चरवाहा समुदाय के लिए कार्यक्रम बनाने के लिए मदद की गई, टोंक के ग्रामीण विकास शोध एवं तकनीकी केन्द्र को प्राकृतिक संशाधनों के प्रबन्धन में महिलाओं की भागीदारी के लिए मदद दी गई। उसी प्रकार जैसलमेर के सृजाम्यहम को ऐसे स्तरीय विपणन योग्य उत्पाद तैयार करने के लिए मदद दी गई जिनसे महिलाओं को नियमित रोजगार मिल सके।
- अलवर में मुक्ति धारा संस्थान को घुमन्तू समुदायों के मूलभूत अधिकारों की राज्य स्तर पर तरफदारी शुरू करने के लिए मदद दी गई।
- दलित तथा लैंगिक मुद्दों पर पुलिसकर्मियों को संवेदनशील बनाने के लिए बाड़मेर में एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया।
- राजस्थान के विभिन्न भागों में बड़ी संख्या में संस्थानों को स्थानीय विकास के प्रयासों में हमने अपनी मदद जारी रखी।

2. स्थानीय स्वशासन को प्रोत्साहन

गुजरात

- हमारा अहमदाबाद जिला पंचायत सन्दर्भ केन्द्र, अहमदाबाद जिला पंचायत प्रांगण में अपनी सेवाएँ दे रहा है। इस तिमाही में हमने सभी पंचायतों का दौरा किया है तथा पंचायतों के कामकाज तथा उनकी कठिनाइयों के बारे में विचार-विमर्श किया है। जिला पंचायत संदर्भ केन्द्र ने 'पंचायत जगत' नाम से पत्रिका का पहला अंक निकाला है। इस अंक में प्रमुखतः जिले के पंचायत प्रतिनिधियों के बारे में चर्चा की गई है।
- साबरकांठा जिले के आदिवासी इलाके में हमने श्री नारायणभाई पटेल को दंतराल ग्राम पंचायत में ग्राम सभा की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए बुलाया। सभा में ग्रामवासियों ने अपनी छोटे स्तर की योजना प्रस्तुत की तथा पंचायत की गतिविधियों के बारे में कई सवाल पूछे।
- गुजरात में पंचायती राज संस्थाओं की स्थिति पर 8-9 मई, 2000 को एक राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। पंचायत मंत्री तथा पंचायत राज के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने उसके समापन समारोह में भाग लिया। उस कार्यशाला में पंचायती राज की स्थिति पर एक रिपोर्ट का प्रारूप प्रस्तुत किया गया। इसकी अंग्रेजी प्रति उपलब्ध है। इसका गुजराती अनुवाद शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।
- इस तिमाही में हम आने वाले वर्षों के लिए हमारे हस्तक्षेप वाली रणनीतियां बनाने में जुटे रहे।

राजस्थान

- राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव होने के बाद हमने जोधपुर जिले के सभी ब्लॉकों की निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों के लिए दस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये। हमने इस जिले की 500 महिला प्रतिनिधियों को प्रशिक्षित किया है। महिला प्रतिनिधियों के लिए एक अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम जवाजा में आयोजित किया गया।
- भरतपुर में केयर तथा जालौर जिले के आहोर ब्लाक में 'संकल्प' को प्रशिक्षण की मदद दी गई।
- ग्राम सभा तथा वार्ड सभा को प्रोत्साहित करने के लिए (1 से 10 मई, 2000) 10 ग्राम विकास अधिकारियों को प्रशिक्षित किया तथा फिर मंडोर पंचायत समिति में ग्राम सभा के आयोजन में सीधी मदद दी (15 मई)। वार्ड सभाएं 1 से 10 मई तक तथा ग्राम सभा 15 मई, 2000 को आयोजित की गई।

क्षेत्रीय तथा शैक्षणिक विभाग

3. दस्तावेजीकरण तथा विकास शिक्षण

- आक्सफेम (इंडिया) ट्रस्ट, महाराष्ट्र तथा मध्यप्रदेश के साझेदारों के लिए दो कार्यशालाएँ पुणे में 12 से 15, अप्रैल 2000 तक तथा भोपाल में 2 से 5 मई, 2000 तक आयोजित की गई। इस कार्यशाला का उद्देश्य मुद्दे आधारित कार्यक्रमों के लिए समुचित पर्यवेक्षण प्रणाली विकसित करना था। इसमें समस्या की पहचान, विभिन्न पेचीदगियों की समझ शामिल थी जैसे विस्थापन, महिलाओं, आदिवासियों तथा दलितों पर हिंसा तथा इनसे निबटने के लिए विभिन्न रणनीतियां। संहभागियों को सहभागी परिवेक्षण की विभिन्न प्रणालियों, तरीकों तथा औजारों से भी परिचित कराया गया।
- जून 19-24, 2000 के बीच प्रशिक्षकों के लिए एक प्रशिक्षण आयोजित किया गया। सी.आर.वाई (महाराष्ट्र) के भागीदारों ने इस कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य था एक ऐसी आन्तरिक सन्दर्भ टीम बनाना जो सी.आर.वाई. के गुजरात और महाराष्ट्र में अन्य भागीदारों के लिए प्रशिक्षण आयोजित कर सके। सहभागियों ने जिन विषयों पर एकाग्र किया वे हैं. (1) तरफदारी करने की दक्षता तथा बाल अधिकार, (2) समुदाय की भागीदारी, (3) कार्यकर्ताओं के लिये संगठनात्मक प्रबन्ध (4) संस्थान के स्टाफ कर्मियों को पीड़ित बच्चों के प्रति संवेदनशील बनाना। सहभागी प्रशिक्षण की जानकारी देने के अलावा सहभागियों द्वारा प्रेक्टिस सत्र आयोजित

किये गये तथा प्रशिक्षकों की टोली ने वीडियो समीक्षा प्रस्तुत की। अपने विषयों में सहभागियों ने भावी कार्ययोजनाएं बनाई।

- हमने सहभागी प्रशिक्षण तकनीकों को बेहतर बनाने के लिए पार्टीसिपेटरी रिसर्च इन एशिया, नई दिल्ली में 21 से 25 मई, 2000 तक हुई पांच दिवसीय कार्यशाला में भाग लिया। देश के विभिन्न हिस्सों में भेंटवार्ताओं की श्रृंखला के जरिये सहभागी प्रशिक्षण तकनीक के प्रभाव के बारे में अनुभव एकत्र किये गये। ये अनुभव पुस्तिकाओं के रूप में प्रकाशित किये जायेंगे। ये पुस्तिकाएँ होंगी। (1) सहभागी प्रशिक्षण का प्रभाव (2) सहभागी प्रशिक्षण की तकनीकों का संकलन तथा (3) सहभागी प्रशिक्षण के बारे में आवश्यक रूप से पढ़ने वाली किताब। ये पुस्तिकाएँ अगली तिमाही में प्रकाशित होंगी।
- अहमदाबाद शहर की मलिन बस्तियों में काम कर रहे कई गैर सरकारी संगठनों के यहाँ दौरा किया गया ताकि वे जो प्रशिक्षण दे रहे हैं उन्हें समझा जा सके। इनसे मिली सीख के आधार पर समुदाय के नेताओं को प्रशिक्षण देने के लिए एकेडेमी ऑफ सिविल सोसायटी लीडर्स में स्थानीय स्तर के नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण का ढांचा बनाया जायेगा।
- अगली तिमाही में सामाजिक लामबंदी के लिए उसके आकार और प्रक्रियाओं पर एक कार्यशाला आयोजित करने की तैयारी चल रही है।
- गुजरात के चार जिलों - बनासकांठा, जामनगर, सुरेन्द्रनगर तथा कच्छ में मई, 2000 के दौरान एक अध्ययन किया गया। इसका मूल उद्देश्य था, राहत कार्यों के प्रबंधन को समझने तथा यह जानने के लिए लोग सूखे की स्थिति से कैसे निबटते हैं।

4. अनुसंधान, पैरवी तथा संबंधित गतिविधियाँ

- शहरी शासन में गरीब केन्द्रित लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए इस कार्यक्रम के तहत एक कार्य अनुसंधान हाथ में लिया। इस प्रयास के तहत धोलका म्यूनिसिपेल्टी में एक बहु-सहभागी फोरम बनाया जा रहा है। शहर के दलित समुदाय तथा सबसे गरीब लोगों से नियमित सम्पर्क रखा गया है जिससे कि एक सहभागी समूह तैयार किया जा सके, जिससे कि वे नगर नियोजित तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन में प्रभावी भागीदारी निभा सकें।
- अहमदाबाद शहर में अगरबत्तियां बनाने के काम में लगी लड़कियों पर एक अध्ययन करने के लिए शहर की मलिन बस्तियों में काम कर रहे गैर सरकारी संगठन 'वर्ल्ड विजन' को सहयोग दिया गया।

शेष पृष्ठ 18 पर

उन्नति

उन्नति
विकास शिक्षण संस्थान
जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015
फोनः 079-6746145, 6733296 फैक्सः 079-6743752 email: unnati@ad1.vsnl.net.in
राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय
21-ए 9वां पॉल रोड, बच्छराज जी का बाग, जोधपुर-342003 राजस्थान
फोन/फैक्सः 0291-643248, फोन: 0291-642185 email: unnati@datainfosys.net

रुपांकनः राजेश पटेल **गुजराती से अनुवादः** रामनरेश सोनी, **चित्रांकनः** सतपाल सिंग
मुद्रकः कलरमेन ऑफसेट, सेलर, आगमन, मयुर कॉलोनी के पास, मीठाखळी छः रास्ता, नवरंगपुरा, अहमदाबाद- 380 009, फोन नं. 6431405

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।